उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

की

संसदीय सद्भाव समिति

का

प्रतिवेदन

(साम्प्रदायिक सौहार्द के विषय में)

(दिनांक 10 फरवरी, 1982 को सदन में प्रस्तुत किया गया)

विधान परिषद् सचिवालय
उत्तर प्रदेश
1982

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के पदाधिकारी

1. श्री बृज भूषण सिंह चौहान, सचिव विधान परिषद्।
2. श्री प्रताप सिंह, अनुसचिव एवं समिति अधिकारी, विधान परिषद्।

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	ग
2.	समिति का गठन	ङ
3.	प्रतिवेदन	1–16
4.	परिशिष्टियां	17–26

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता "अनेकता में एकता है।" इसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, समुदायों, वर्गों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग विभिन्न विचारधाराओं और रहन-सहन के होते हुए भी एक ही साथ रहते हैं। राष्ट्रीय एकता की यह सबसे बड़ी निशानी है। किन्तु कभी-कभी साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता, जातीयता की भावना से इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे राष्ट्रीयता की जड़ें हिल जाती हैं। 1947 में देश का विभाजन, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

देश के हिन्दू मुसलमान तथा अन्य वर्गों में 95 प्रतिशत अच्छे लोग होते हैं। वह दंगा फसाद नहीं चाहते हैं और सबके साथ मिलकर अपने धर्म और विश्वास के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। किन्तु कुछ व्यक्ति सभी समुदायों में ऐसे होते हैं, जो दंगा-फसाद और झगड़ा पैदा करने में ही आनन्द लेते हैं। इससे देश में कहीं-कहीं साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं और काफी संख्या में निरीह जनता के जान माल की हानि तो होती ही है, देश और प्रदेश की एकता पर भी धक्का पहुंचता है। अंग्रेजों के आने के पूर्व इस देश में दंगे नहीं होते थे लेकिन 1857 की जन क्रान्ति के बाद अंग्रेजों ने "फूट डालो राज्य करो" की नीति के अनुसार हिन्दू और मुसलमानों के अंदर भेद की नीति को प्रोत्साहन दिया जिसके कारण साम्प्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई।

जहां तक साम्प्रदायिकता का प्रश्न है, इसको परिभाषित करना कठिन है फिर भी इसके दो पहलू विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं।

1. सामाजिक तथा धार्मिक पहलू

देश में निवास करने वाले एक वर्ग जिसकी भावनायें अपने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा धार्मिक कल्याण के प्रति तो केन्द्रित होती हैं किन्तु सम्पूर्ण देश के प्रति उसकी निष्ठा उतनी नहीं होती जितनी कि होनी चाहिए।

2. विरोधात्मक पहलू

दूसरे जिसे कि हम विरोधात्मक पहलू भी कह सकते हैं। इसमें वर्ग विशेष की काल्पनिक अथवा सही रूप में किसी खतरे की सम्भावना को लेकर जनता में उन्माद प्रवाहित होता है जो कि शान्ति व्यवस्था के लिये समस्या बन जाता है और इसके अन्तर्गत गैर कानूनी कार्य जैसे हत्यायें, लूटपाट के कार्य होने लगते हैं।

साम्प्रदायिक दंगों में असामाजिक एवं अवांछनीय व्यक्तियों की बन जाती है ऐसे व्यक्ति न हिन्दू होते हैं और न मुसलमान। उनका कोई धर्म नहीं होता। उनका एक ही धर्म होता है कि लूटो, मारो, खाओ। साम्प्रदायिकता एक राष्ट्रीय समस्या है। इसे हल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं शैक्षिक संगठनों का सहयोग अपेक्षित है।

समिति उन सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, विधायकों, सामाजिक एवं शैक्षिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों एवं जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने समिति के समक्ष उपस्थित होकर समिति को अपने सुझावों से अवगत कराया। समिति ऐसे लोगों की भी आभारी है जिन्होंने लिखित रूप से संबंधित विषय के संबंध में जानकारी दी।

अन्त में मैं विधान परिषद् के सचिव, श्री बृज भूषण सिंह चौहान, अनुसचिव एवं समिति अधिकारी श्री प्रताप सिंह तथा समिति के अन्य कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिनके सहयोग से यह रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत हो सकी है।

माता प्रसाद
सभापति,
संसदीय सद्भाव समिति।

दिनांक 11 दिसम्बर, 1981

विधान परिषद् में समय-समय पर सदस्यों द्वारा मांग की जाती रही है कि महिलाओं पर बलात्कार, हरिजनों पर अत्याचार, हिन्दू मुसलमानों की साम्प्रदायिक लड़ाई के वास्तविक कारणों का सदन की समिति के माध्यम से पता लगाया जाये और मौके का निरीक्षण किया जाये। इस सम्बन्ध में विधान परिषद् में 10 जुलाई, 1980 को अल्मोड़ा जिले के कफ्लटा क्षेत्र में मंदिर के सामने शादी के लिये जाती हुई पालकी को निकालने के संबंध में 14 हरिजनों और एक संवर्ग व्यक्ति की हत्या के सम्बन्ध में जो बहस हुई उसमें हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में सदन की समिति के गठन की मांग की गयी।

इसी प्रकार 24 जुलाई, 1980 को बागपत काण्ड के सम्बन्ध में महिलाओं के साथ हुए बलात्कार एवं हत्या की चर्चा के सम्बन्ध में, सदन में एक समिति के गठन की मांग की गई। मुरादाबाद और अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में दिनांक 8 सितम्बर, 1980 को जो बहस हुई उसमें भी सदन की समिति के गठन की मांग की गई। बांदा में हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में भी सदन में समिति के गठन की मांग की गयी। सरकारी कर्मचारियों के कार्य कलाप, आचरण एवं व्यवहार सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाये गये। इस प्रकार सदन में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में होने वाले दंगों एवं बलात्कार के सम्बन्ध में इस प्रकार की समिति के गठन की बराबर मांग की गई।

सन् 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई द्वारा सुझाव देने पर, विधायकों पर लगाये गये भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों से उत्पन्न विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं के सम्बन्ध में सदन में एक सदाचार समिति बनी थी, जिसका निर्णय वाद-विवाद पर आधारित था। यह समिति कुछ बैठकों के बाद तत्कालीन माननीय सभापति जी द्वारा समाप्त कर दी गई। सदाचार समिति की समाप्ति के बाद उक्त विषयों पर आधारित समस्याओं की जानकारी के लिये एक समिति बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। हरिजन महिलाओं के उत्पीड़न, साम्प्रदायिक झगड़ों के सम्बन्ध में सदन की भावनाओं को देखते हुए एवं सदन की कार्यवाही शालीनता के साथ चलाने के लिये माननीय सभापति विधान परिषद् ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत संसदीय व्यवहार एवं सद्भाव समिति के नाम से इस समिति का गठन दिनांक 27 दिसम्बर, 1980 को किया तथा उक्त नियमावली के नियम 55 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये समिति का निम्नलिखित कार्य क्षेत्र निर्धारित किया:—

(1) प्रदेश के विभिन्न सम्प्रदायों तथा जातियों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने के लिये सुझाव,

(2) कमजोर वर्ग, विशेषतः हरिजनों एवं महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिये सुझाव,

(3) सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य पालन करने की भावना को मजबूत करने तथा अपराधों में संलग्न होने की दशा में कार्यवाही करने पर सुझाव,

(4) सदन में तथा सदन के बाहर सदस्यों द्वारा परम्पराओं तथा मान्यताओं का पालन करने के सम्बन्ध में सुझाव।

दिनांक 27 मार्च, 1981 की बैठक में समिति ने यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया कि माननीय सभापति जी से अनुरोध किया जाय कि इस समिति का नाम संसदीय व्यवहार एवं सद्भाव समिति के स्थान पर संसदीय सद्भाव समिति रखा जाय क्योंकि हमारे सदन की ही एक दूसरी समिति है जिसका नाम संसदीय अध्ययन समिति है जो संसदीय व्यवहार संबंधी समस्याओं को देखती है। इस तरह से दोनों समितियों के नामों और कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में आपस में भ्रम होने की सम्भावना पैदा होती है। माननीय सभापति जी ने दिनांक 6 अप्रैल, 1981 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस समिति का नाम संसदीय सद्भाव समिति रखना तय पाया।

समिति के सदस्य

माननीय सभापति जी ने समिति के निम्नलिखित सदस्यों को दिनांक 1 जनवरी, 1981 से मनोनीत किये:—

(1) श्री माता प्रसाद, सभापति समिति,

(2) श्री रेहान रजा खां, सदस्य, विधान परिषद् सदस्य

(3) श्री निसार अहमद, सदस्य, विधान परिषद् सदस्य

(4) श्री अब्दुल रसीद, सदस्य, विधान परिषद् सदस्य

(5) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, सदस्य विधान परिषद् सदस्य

(6) श्री श्यामा प्रसाद प्रदीप, सदस्य, विधान परिषद् सदस्य

(7) श्री विश्राम राय, सदस्य, विधान परिषद् सदस्य

(8) श्री अब्बास अली, सदस्य, विधान परिषद् सदस्य

(9) कुमारी सरस्वती अम्माल, सदस्य, विधान परिषद् सदस्य

(10) कुमारी सत्या सूद सदस्य, विधान परिषद् सदस्य

(11) कुमारी दया बहन, सदस्य, विधान परिषद् सदस्य

श्री रेहान रजा खां, सदस्य, विधान परिषद् का कार्यकाल 10 जनवरी, 1981 को समाप्त हो गया जिसके फलस्वरूप एक स्थान रिक्त हो गया था लेकिन 21 जनवरी, 1981 को श्री रेहान रजा खां, विधान परिषद् के सदस्य मनोनीत कर दिये गये। माननीय सभापति, विधान परिषद् ने श्री रेहान रजा खां, सदस्य, विधान परिषद् को पुनः समिति का सदस्य दिनांक 5 फरवरी, 1981 को मनोनीत किया।

प्रतिवेदन

समिति की प्रथम बैठक लखनऊ में दिनांक 10 फरवरी, 1981 को हुई जिसे माननीय सभापति, विधान परिषद् ने सम्बोधित किया। तत्पश्चात् समिति ने अपनी कुल 49 बैठकें की, जिनका विवरण परिशिष्ट 'क' में संलग्न है। तदुपरान्त समिति ने अपने समक्ष व्यापक कार्य क्षेत्र को देखते हुए यह निर्णय लिया कि देश तथा अन्य राज्यों में जहां कहीं भी इस प्रकार की समिति गठित हुई हो उसके बारे में सूचना प्राप्त की जाय। यदि उनके कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुये हैं तो उन्हें मंगाया जाय। तत्पश्चात् इस प्रकार की सूचना अन्य राज्यों से मांगी गई तो यह ज्ञात हुआ कि देश के किसी भी राज्य में इस प्रकार की समिति गठित नहीं की गई है।

समिति ने सर्व प्रथम यह निर्णय लिया कि समिति का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक है इसलिये प्रदेश में विभिन्न सम्प्रदायों, जातियों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने के लिये सुझाव लिये जायं। इसके लिये समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रदेश के जिन भागों में साम्प्रदायिक दंगे होते हैं उनमें से कुछ जिले तथा जिन जिलों में साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते हैं वहां पर समिति जाकर स्थिति का अध्ययन करे तथा वहां सरकारी अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, शिक्षा संस्थाओं के हेड, छात्र प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों तथा समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया जाय। समिति ने सर्व प्रथम साम्प्रदायिक तनाव वाले क्षेत्रों में दौरा करने का निश्चय किया तथा वहां से जानकारी प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रश्नावली तैयार की गई—

(1) 1950 ई0 के बाद आपके जनपद में तथाकथित साम्प्रदायिक झगड़े कब-कब हुए ?

(2) आपके विचार से उसके क्या कारण थे?

(3) आपकी दृष्टि में इस प्रकार के झगड़े न होने देने के लिये क्या सुझाव है?

(4) इन झगड़ों के लिये राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारणों का कहां तक हाथ है?

(5) स्थानीय समाजसेवी, बुद्धिजीवियों तथा अन्य राजनैतिक दल इस प्रकार के झगड़ों को रोकने में क्या मदद कर सकते हैं?

(6) प्रशासन इन झगड़ों के लिये किस सीमा तक जिम्मेदार है?

(7) क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं उनमें ऐसी बातें हैं, जिनसे साम्प्रदायिक सौहार्द भंग होने का खतरा है तथा उसको दूर करने के लिये आपके क्या सुझाव हैं ?

(8) स्त्रियां साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में कहां तक सहायक हो सकती हैं?

(9) जब-जब हिन्दू मुस्लिम झगड़े हुये हैं क्या झगड़ा कराने वालों की कोई सूची जिलाधिकारी के पास है? यदि है तो क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध झगड़ा होने के पूर्व कोई कार्यवाही की गयी ?

(10) अन्य कोई और सुझाव साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने के बारे में यदि हों?

उपरोक्त प्रश्नावली के अतिरिक्त एक दूसरी प्रश्नावली भी तैयार की गयी, जो विशेषकर ऐसे स्थानों से सम्बन्ध रखती है जहां पर साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते हैं, प्रश्नावली निम्न प्रकार है:—

(1) आपके यहां कौन सी ऐसी विशेषतायें हैं जिनके कारण आपके यहां साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते हैं?

(2) आपके यहां ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक कारणों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते हैं?

(3) आप अपने यहां साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिये कौन-कौन से प्रयास करते हैं?

(4) इस सम्बन्ध में यदि कोई अन्य सुझाव हों तो देने का कष्ट करें?

समिति ने सर्व प्रथम अपना दौरा दिनांक 22 अप्रैल, 1981 से 29 अप्रैल, 1981 तक किया। इस दौरे में समिति पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, नरोरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद तथा इलाहाबाद गयी। समिति ने इस संबंध में अपना दूसरा दौरा 14 जुलाई, 1981 से 19 जुलाई, 1981 तक किया जिसमें समिति जौनपुर, वाराणसी, मऊ, गोरखपुर, फैजाबाद गई। समिति जितने भी स्थानों पर गई वहां के सभी राजनैतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधियों, छात्र प्रतिनिधियों, महिला प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, प्रशासनिक अधिकारियों का साक्ष्य लिया। इसके अतिरिक्त इन स्थानों पर बहुत से व्यक्तियों ने लिखित रूप में भी अपने सुझाव समिति को दिये। वे सुझाव भी समिति की बैठकों में प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त श्री अकील शाहनी जौनपुर और सिकन्दर रजा, अवैतनिक सचिव, अवध कल्चर क्लब, लखनऊ ने भी इस सम्बन्ध में पत्र लिखकर समिति को अपना साक्ष्य देने की इच्छा व्यक्त की। जिसे समिति ने स्वीकार कर, इस सम्बन्ध में उनका भी साक्ष्य लिया।

समिति जिन भी स्थानों पर गयी और वहां पर जिन प्रमुख व्यक्तियों ने अपना साक्ष्य दिया उनकी सूची परिशिष्ट 'ख' में रखी गई है। समिति ने साक्ष्यों तथा अन्य सूत्रों के अनुसार साम्प्रदायिक दंगों के कारणों की जो जानकारी की उसका विवरण निम्न है:-

कारण

समिति साम्प्रदायिक दंगे के होने में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक तथा दूसरे कारणों को समझती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. राजनैतिक कारण

अंग्रेजी-शासन के पूर्व हमारे देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगे नहीं होते थे, लेकिन जब इस मुल्क में अंग्रेजों का राज्य हुआ तो उन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया कि जब तक हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग नहीं किया जायगा तब तक हम इस देश में राज्य नही कर पायेंगे। इसलिये उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को अलग करने के लिये इतिहास की पुस्तकें लिखवाईं और उनमें बहुत से ऐसे अंश जो हिन्दू मुसलमानों में सौहार्द पैदा करते थे उस पर परदा डाल दिया और बहुत से ऐसे प्रसंगों का पाठ्यक्रमों में और इतिहास में स्थान दिया जिससे हिन्दू और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ती ही गई।

साम्प्रदायिक दंगों को कराने में राजनैतिक व्यक्तियों और दलों की प्रमुख भूमिका रहती है। जातीय आधार पर सभी राजनैतिक दल चुनाव के समय अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं, जिससे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। सस्ती लोकप्रियता के लिये कुछ लोग इस तरह के दंगों को कराने में सहायक होते हैं। कतिपय राजनैतिक व्यक्ति अधिकारियों पर दबाव डाल कर वास्तविक अपराधियों की सहायता करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कभी-कभी सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं से भी दंगा कराने वालों को संरक्षण मिलता है। जिस कारण अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी विपक्षी दलों के कुछ लोग सरकार को बदनाम करने के लिये साम्प्रदायिक दंगे होने पर उसको बढ़ावा देते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। कभी-कभी विदेशी एजेन्सियां देश की सत्ता को बदनाम करने के लिये साम्प्रदायिक दंगों में सहायक होती हैं।

कभी-कभी दंगों के समय राजनैतिक पार्टियों के लोग दंगा स्थलों पर तुरन्त दौरा शुरू कर देते हैं जिसके कारण अधिकारी उनकी देखरेख में लग जाते हैं और दंगों को रोकने के कार्य को नहीं देख पाते हैं। कभी-कभी राजनैतिक व्यक्ति ऐसा वक्तव्य देते हैं जिससे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार दंगों को कराने और उसे बढ़ावा देने में राजनैतिक व्यक्तियों का प्रमुख हाथ होता है।

2. सामाजिक कारण

शिक्षा की कमी के कारण साधारण लोग उत्तेजना पैदा करने वाले व्यक्तियों के बहकावे में आ जाते हैं। लोगों में झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। इन अफवाहों में कितनी सत्यता होती है इसे कभी साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता है और उसको सही मानकर उसी तरह से आचरण करने लगता है।

कभी-कभी किसी धर्म की निष्ठा पर चोट पहुंचाने के कारण भी साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि गो कशी या सुअर को लेकर दंगे हो जाते हैं। कभी-कभी धार्मिक स्थानों के सामने बाजा बजाने के प्रश्न को लेकर भी साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं। कभी हिन्दू लड़के द्वारा मुसलमान लड़की से, मुसलमान लड़के से हिन्दू लड़की द्वारा शादी कर लेने के प्रश्न पर भी साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं। समाज में जातिवादी संकीर्णता के कारण भी साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। क्योंकि इस संकीर्णता में से सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाली संस्थाओं की कमी है, जो इस तरह के भेदभाव को दूर करने में सहायक होती है। समाज में जब तक असमानता रहेगी तब तक साम्प्रदायिक दंगे होते रहेंगे।

जाति विरादरी के नाम पर जो संगठन बनते हैं वे अपनी जाति की बुराइयों का सुधार करने में तो ठीक हैं, किन्तु जब वे दूसरी जातियों की आलोचना करने लगते हैं तो साम्प्रदायिक तनाव की भावना पैदा होती है। अन्ध विश्वास रूढ़िवादिता व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ावा मिलता है। हिन्दुओं और मुसलमानों की आबादी जब अलग-अलग होती है तो वे एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उनके मन में यह विचार आता है कि पता नहीं दूसरा वर्ग उनके खिलाफ कौन सा षडयन्त्र रच रहा है।

समाज में कुछ व्यक्ति आगे आने के लिये अपनी ख्याति के लिये गलत रास्ता अपनाते हैं। उनकी कोई सामाजिक हैसियत नहीं होती है अपने को ऊपर जाने की दो रास्ते हैं। एक रचनात्मक दूसरा तोड़-फोड़ का। रचनात्मक रास्ता कठिन और देर का होता है, किन्तु दूसरा रास्ता जल्दी और आसान होता है। इसलिये ऐसे व्यक्ति तोड़फोड़ रास्ते को ही चुनते हैं और नेता गीरी के लिये साम्प्रदायिक दंगों का सहारा लेते हैं। हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदाय में एक दूसरे के प्रति दायित्व की कमी की भावना भी इस विचार को प्रोत्साहन देती है।

3. आर्थिक कारण

साम्प्रदायिक दंगों को कराने में आर्थिक स्थिति भी कारण होती है। पूंजीपति गरीबों और मजदूरों का ध्यान आर्थिक समस्याओं से हटाकर उसे मजहब की तरफ ले जाने के लिये साम्प्रदायिक दंगों के कराने में सहायक होते हैं। जिससे उसे गरीबों और मजदूरों की समस्याओं से छुटकारा मिल जाय। इस तरह धन्धे वाले कारखानेदार व्यावसायिक लोग अपनी निहित स्वार्थों के लिये जनता को दो सम्प्रदायों में बांट देते हैं। इस समय वे हिन्दू या मुसलमान बन जाते हैं।

आर्थिक पिछड़ापन भी दंगों को कराने में सहायक होता है। कहीं कहीं एक सम्प्रदाय की आर्थिक स्थिति जब अच्छी होती है तो दूसरा सम्प्रदाय उनके प्रति ईर्ष्या

भाव रखते हुये साम्प्रदायिक दंगे कराते हैं इन साम्प्रदायिक दंगों में जो सम्पन्न लोग होते हैं उनको क्षति पहुंचाई जाती है, इस प्रकार दूसरे वर्गों की आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

जब गरीब हिन्दू गरीब मुसलमान को मजदूरी देने का सवाल आता है तो वे दोनों एक हो जाते हैं। जहां पर मजदूरों के मजबूत संगठन होते हैं प्रायः वहां पर साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते हैं क्योंकि आर्थिक मदद सभी मजदूरों को एक सूत्र में बांधे जाने में सहायक होते हैं।

4. शैक्षिक कारण

अंग्रेजों ने बहुत एसे इतिहास लिखवाये जिससे हिन्दू मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ी। औरंगजेब और शिवाजी का इतिहास इसका साक्षी है इसको हिन्दू और मुसलमानों की लड़ाई बना दिया गया है जबकि वास्तव में दो राजाओं की लड़ाई थी और दोनों पक्षों में हिन्दू और मुसलमानों की संख्या काफी थी। उन्होंने एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करने के लिये कई अच्छे कार्य किये किन्तु इस पर प्रकाश नहीं डाला गया बल्कि एसी घटनाओं को विशेष स्थान दिया गया जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा होती रही है।

देश में कुछ एसी साम्प्रदायिक शिक्षा संस्थायें हैं जो एक जाति या धर्म विशेष के मानने वाले को देश भक्त बनाती है किन्तु दूसरे धर्म और सम्प्रदाय के लोगों के प्रति घृणा की भावना पैदा करती है। इस प्रकार कोमल बुद्धि के बच्चों पर इसका विषैला प्रभाव पड़ता है। आगे चलकर यह भावना भयानक रूप धारण करती है।

हमारे देश के स्वतंत्रता के इतिहास में सभी धर्मों और मजहबों के लोगों का योगदान रहा है, पाठ्यक्रमों में इसकी उपेक्षा की गई है। कभी कभी कुछ एसे लेख लिखे जाते हैं जिससे राष्ट्रीय नेताओं के प्रति घृणा की भावना पैदा होती है।

देश में नैतिक शिक्षा का अभाव भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने में सहायक होता है। सभी विद्यालयों में सभी धर्मों की अच्छी-अच्छी बातों को न बताना, शिक्षा संस्थाओं में धर्म विशेष के शिविर लगाना भी साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देता है। बहुत से स्कूलों और कालिजों के नाम जाति और धर्म के नाम पर रख दिये जाते हैं इसके कारण भी साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता है। राष्ट्रीय गीतों और कविताओं में एक ही समुदायों के लोगों के द्वारा मैनेजमेन्ट शिक्षकों और छात्रों का होना भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देता है।

उर्दू भाषा को प्रोत्साहन न मिलने से अल्प संख्यकों के मन में यह भावना घर करती रही है कि उनकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।

5. एतिहासिक कारण

8वीं शताब्दी के आरम्भ में बहुत थोड़े से मुसलमान देश में आये बाद में हिन्दू वर्ण व्यवस्था, जातीय विभेद के कारण बहुत से हिन्दू समुदाय के तथा सत्ता के प्रभाव के कारण लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, वहां जाने पर इन दोनों में विरोध की भावना में वृद्धि होती रही। फिर भी मुस्लिम शासन काल में इन दोनों वर्गों में प्रायः साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रहा। अंग्रेजों के शासन काल में दोनों वर्गों को अलग करने में पूरे प्रयास किये गये। देश के विभाजन के बाद हिन्दुओं के मन में यह भावना पैदा हुई कि पाकिस्तान बन जाने के बाद इस देश में रहने वाले मुसलमानों का कोई हक यहां नहीं है क्योंकि उनके लिये तो पाकिस्तान बन गया। लेकिन अधिकांश मुसलमान, जो इस देश में रह गये थे और जिनमें से बहुत लोगों ने देश की आजादी में

भाग लिया था उनका यह कहना था कि हम इस देश में रहेंगे और हमारा पूरा हक है इस प्रकार दोनों वर्गों के बीच मनोवैज्ञानिक रूप में कुछ कटुता बढ़ती रही।

बहुत से भारतीय मुसलमानों के सम्बन्धी पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों के सम्बन्धी भारत में। यहां के मुसलमान जब पाकिस्तान जाते हैं तो उनको यहां संदेह की दृष्टि से देखा जाता है इससे एक नाजुक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण हिन्दी और उर्दू का भी सवाल उठाया गया। कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान जाने के बाद उर्दू को यहां प्रोत्साहन देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ऐसा कहने से मुसलमानों में भी हीनता की भावना पैदा हो गई इस प्रकार हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के मन में भीतर ही भीतर विद्वेष की आग जलती रही।

कभी-कभी इतिहास को उलट-पुलट कर लिखने पर भी दोनों समुदायों में तनाव की भावना पैदा हो जाती है। इतिहास की ऐसी पुस्तिकायें लिखी गयी हैं जिसमें कहा गया है कि "कौन कहता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया" कौन कहता है अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाई। ऐसी पुस्तकें दंगों के बढ़ाने और भेद पैदा करने में सहायक होती हैं।

6. सांस्कृतिक कारण

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भवनों का निर्माण एवं उनकी कला के प्रति रुचि व लगाव न होने से राष्ट्रीय एकीकरण के लिये किये गये प्रयासों की भावना के प्रसार प्रचार न होने से साम्प्रदायिकता को बल मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के लिये लड़ने वालों की कुर्बानियों का उल्लेख न करने से उनके प्रति श्रद्धा का अभाव पैदा होता है। कवियों शायरों लेखकों को प्रोत्साहन का अभाव तथा नाटकों, गीतों, लोकगीतों में राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रदर्शन न करने के कारण भी साम्प्रदायिकता की भावना लोगों में घर करती है। हिन्दुओं ने मुसलमानों के लिये कौन सी मस्जिदें और मुसलमानों ने हिन्दुओं के लिये कौन से मंदिर बनवाये। एक ने दूसरे के लिये कब-कब बलिदान किये परस्पर हित के लिये कौन से कार्य किये। इनका प्रसार प्रचार न होना एक दूसरे में संदेह की भावना को पैदा करता है।

7. धार्मिक कारण

अपने धर्म का प्रचार करना, उसकी विशेषताओं को बताना अच्छा है लेकिन दूसरे के धर्म को भला बुरा कहना और उसकी आलोचना करना अथवा दूसरे धर्मों की पुस्तकों और दूसरे धर्मों के अवतारों व पैगम्बरों की आलोचना करने से भी साम्प्रदायिकता को बल मिलता है।

धर्मों और धार्मिक जुलूसों का स्पर्धा पूर्ण प्रदर्शन भी दूसरे धर्म वालों के मन में विद्वेष पैदा करता है। इस दृष्टि से धामिक जुलूस जो निकाले जाते हैं उससे दूसरे धर्म के लोगों पर अच्छा असर नहीं पड़ता है।

एक के धार्मिक कृत्यों का पालन करते हुये जब दूसरे के दैनिक कार्यों में बाधा पड़ती है तो उससे भी दूसरे धर्म वालों के मन में रोष पैदा होता है। उदाहरण के लिये जैसे लाउडस्पीकर लगाकर लगातार 24 घंटे कीर्तन करना तथा रमजान के महीने में रात भर लाउडस्पीकर लगाना आदि ऐसा करने से विद्यार्थियों रोगियों को हानि एवं पीड़ा तो होती ही है वहीं पर दूसरे सम्प्रदाय के मन में भी अच्छी धारणा उस धर्म के प्रति नहीं पैदा होती है।

देश में धर्म निरपेक्ष सरकार होते हुये भी बहुत सी सरकारी कालोनियों में सरकारी भूमि पर एक समुदाय का धार्मिक स्थल बना लिया जाता है। दूसरे समुदाय

के लोगों में इससे चिढ़ पैदा होती है। धार्मिक सहनशीलता के अभाव के कारण भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है।

मस्जिद के सामने नमाज पढ़ने के वक्त बाजा बजाने मस्जिद या मन्दिर में सुअर या गाय काटकर फेंक देने से धार्मिक भावना पर चोट लगती है। कब्रिस्तान, मजार या धार्मिक स्थल की भूमि के विवाद को लेकर भी साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं। धार्मिक जुलूस के मार्ग को लेकर भी झगड़े होते हैं।

8. प्रशासनिक कारण

दंगों के बढ़ाने व रोकने में प्रशासनिक मशीनरी का बहुत बड़ा हाथ होता है जहां के अधिकारी सतर्क होते हैं और आवश्यकतानुसार तुरन्त उचित निर्णय लेकर कार्यवाही करते हैं वहां दंगे नहीं होते हैं। अगर वे सक्षम होते हैं तो तुरन्त ही स्थिति पर काबू पा जाते हैं। इसके विपरीत जहां अधिकारी अक्षम होते हैं वहां पर दंगे होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं।

दंगाग्रस्त स्थानों पर प्रायः पी0 ए0 सी0 भेजी जाती है। पी0 ए0 सी0 में प्रायः एक ही समुदाय के लोग होते हैं। जिससे कभी-कभी वे अपने समुदाय के लोगों का पक्ष करते हैं। इस प्रकार वे साम्प्रदायिकता के कार्यों को बढ़ावा देते हैं और उसे रोकते नहीं हैं। कभी-कभी पी0 ए0 सी0 के लोगों पर ऐसे भी आरोप लगाये जाते हैं कि वे दंगों के बढ़ाने में सहायक होते हैं और लोगों की लूट-पाट में उनका भी हाथ होता है।

दंगे के समय वी0 आई0 पी0 का आना शुरू हो जाता है। जिस कारण प्रशासनिक मशीनरी उनकी सुरक्षा और स्वागत में लग जाती है। इसलिये उनका ध्यान दंगों की ओर से हट जाता है और दंगे को बढ़ाने में वे सहायक हो जाते हैं।

प्रायः प्रशासनिक अधिकारियों पर राजनैतिक व्यक्ति गलत लोगों को बचाने के लिये दबाव डालते हैं। प्रशासनिक अधिकारी अपने स्थानान्तरण के डर से कभी-कभी सही काम नहीं कर पाते हैं। इस कारण भी साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ावा मिलता है।

जब प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों में साम्प्रदायिक भावना पैदा हो जाती है तो वह साम्प्रदायिक दंगों का मूक समर्थन करते हैं। जब कभी धार्मिक जुलूस में कोई अधिकारी सरकारी वर्दी में ड्यूटी पर रहते हुये अपने समुदाय के जुलूस को देखकर आम जनता की तरह जुलूस को नतमस्तक होने का प्रदर्शन कर उसे महत्व देता है तो उससे दूसरे समुदाय के मन में ऐसे अधिकारियों से न्याय मिलने की सम्भावना कम हो जाती है।

जहां पर प्रशासन के अधिकारी जनता की भावनाओं का आदर नहीं करते वहां की जनता में अधिकारी के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाती है। पी0 ए0 सी0 शरीफ और गुण्डों को नहीं देखती वह सभी पर लाठी चलाती है। इसलिये प्रायः पी0 ए0 सी0 के कारण भी जनता में रोष पैदा हो जाता है।

संवेदनशील स्थानों पर बाहरी लोग भी आकर खुराफात करते हैं। एल0 आई0 यू0 के लोगों से सही जानकारी नहीं मिल पाती है। दंगों के हो जाने पर उसका दबा पाना कठिन होता है बनिस्वत इसके कि दंगा न होने पाये और उसके पूर्व ही उसके कारणों का निवारण कर दिया जाय।

9. अन्य कारण

दंगे वह नहीं कराते हैं जो चाकू मारकर चन्द रुपयों के लालच में भाग जाते हैं। जो मरने वाले के कफन के लिये चन्दा वसूल करते हैं वही दंगा कराते हैं ऐसे लोगों को दरोगा जी भी सलाम करते हैं।

अवांछनीय एवं असामाजिक तत्वों में न हिन्दू होता है न मुसलमान इनकी कोई जाति नहीं होती है। इनका एक ही धर्म होता है लूटो मारो और खाओ।

प्राय: 95 प्रतिशत दंगे शहरों में होते हैं। शहरों में दंगे जुलूस निकालने के रास्ते पर और देहातों में गो हत्या और जमीन के झगड़े को लेकर होते हैं।

प्राय: यह देखने में आया है कि जिन स्थानों पर हिन्दू और मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात 60 प्रतिशत, 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत या 60 प्रतिशत होता है वहां पर दंगे अधिक होते हैं किन्तु जहां पर दोनों सम्प्रदायों में एक सम्प्रदाय कम संख्या में आबाद होता है वहां प्राय: दंगे नहीं होते हैं।

कभी-कभी अकस्मात दंगे हो जाते हैं। दो समुदायों के लोगों में किसी बात को लेकर कहीं झगड़ा होता है तो उन व्यक्तिगत कारणों को धार्मिक या जातीय रूप दे दिया जाता है।

कभी कोई व्यक्ति किसी अधिकारी से किसी काम को न करने के कारण नाराज हो जाता है तो उस अधिकारी को बदनाम करने के लिये वह व्यक्ति साम्प्रदायिक दंगों को कराने में सहायक होता है जिससे संबंधित अधिकारी, जिसने इसका व्यक्तिगत काम नहीं किया है वह बदनाम हो और उसको वहां से हटा दिया जाय।

दंगे अधिकांश ऐसी जगहों पर होते हैं जहां संकीर्ण गलियां होती हैं और ऊंची इमारतें होती हैं जिससे पुलिस और पी0 ए0 सी0 पर लोग घातक आक्रमण भी करते हैं। वहां दंगों के नियंत्रण में कठिनाई होती है।

बाहरी लोगों के द्वारा आकर दंगों के लिये प्रोत्साहित करना, हिन्दू मुसलमानों का अलग-अलग बसना, पत्र पत्रिकाओं में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले वक्तव्यों, लेखों एवं फ़ोटो ग्राफ का प्रकाशन होने से भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है।

अफवाहों के कारण दंगे होते हैं और आगे बढ़ते हैं। अफवाहों की समाप्ति और उसको आगे बढ़ने से रोक न पाने से दंगे बढ़ते हैं।

रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शराब खाने, होटल, चाय की दूकान, सिनेमा गृहों से अफवाहें उड़ाने में मदद मिलती है।

साम्प्रदायिक दंगों के निवारण और परस्पर सद्भाव स्थापित करने के उपाय—

राजनैतिक उपाय

1. सभी राजनैतिक दल मिलकर एक राजनैतिक आचरण संहिता का निर्माण करें जिससे वह चुनावों में जातीयता के आधार पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा न कर सकें। जो भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं उसे कोई भी पार्टी चुनाव में अपना उम्मीदवार न चुने।

2. दंगा होने पर राजनैतिक दलों के व्यक्ति कोई भड़काने वाले वक्तव्य न दें और न दंगा स्थलों पर आकर ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे प्रशासन को दंगा दबाने में कठिनाई महसूस हो।

3. किसी भी राजनीतिक दल के जो व्यक्ति दंगे को बढ़ावा देते हों या दंगा करने वालों को संरक्षण प्रदान करते हों, उन्हें वे अपने दल से निष्कासित कर दें।

4. राजनैतिक दल या व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक अधिकारियों पर दंगे के समय किसी व्यक्ति के बचाव के लिये दबाव न डालें।

5. दंगे में दोषी पाये जाने पर राजनैतिक दल से संबंधित व्यक्ति की वकालत न करें। ऐसा समझा जाये कि संबंधित व्यक्ति दोषी है न कि राजनैतिक दल।

6. राजनैतिक दल दंगा तो नहीं कराते लेकिन दंगा होने पर उसे हवा देते हैं और उस आग में अपने हाथ सेंकने से बाज नहीं आते। इसलिये ऐसे नाजुक मौकों पर राजनैतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए।

7. दंगे के समय दंगा स्थलों पर तुरन्त ही राजनैतिक दलों के व्यक्तियों या वी0 आई0 पी0 को नहीं जाना चाहिए।

8. दंगे के समय राजनैतिक व्यक्ति अधिकारियों के मना करने पर भी जब दंगा स्थलों पर जाने का प्रयास करते हैं या चले जाते हैं तो उससे वहां की स्थिति के बिगड़ने की आशंका रहती है इसलिये वी0 आई0 पी0 तुरन्त ही दंगा स्थलों पर न जायें तो अच्छा है इसके बजाय सर्वदलीय समितियां मौके पर सद्भाव उत्पन्न करने जायं तो अधिक उपयुक्त होगा।

जो दल साम्प्रदायिकता में विश्वास रखते हों ऐसे राजनैतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता न दी जाये न उन्हें चुनाव चिन्ह ही आवंटित किया जाये।

सामाजिक उपाय

1. नाम के आगे जाति सूचक शब्द न लगाया जाय।

2. जातिवाद को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित न किया जाय।

3. हिन्दू-मुस्लिम बस्तियां अलग-अलग न बनें, बल्कि दोनों समुदायों की मिली जुली बस्तियां होनी चाहिए। जिससे दोनों एक दूसरे की शादी विवाह, तीज, त्योहार पर आपस में मिलते रहें इस प्रकार उनमें गलत फहमी पैदा नहीं होगी।

4. लोगों के अन्दर से अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, धर्मान्धता को दूर करने के उपाय किये जायें।

5. हिन्दू मुसलमान सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ भोजन करें।

6. हिन्दू और मुसलमान दोनों को एक दूसरे की संस्कृति एवं भाषा से प्रेम तथा लगाव होना चाहिए इसलिये दोनों को हिन्दी उर्दू पढ़ना चाहिए।

7. हिन्दू और मुस्लिम समुदाय में यदि एक समुदाय की लड़की या लड़का दूसरे समुदाय के लड़के या लड़की से शादी कर ले तो उसे समाज द्वारा तिरस्कृत न किया जाय।

8. बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी और धर्म है कि वे अल्पसंख्यकों की रक्षा करें।

9. हिन्दुओं के त्योहारों और उत्सवों का आयोजन मुसलमान और मुसलमानों के त्योहारों का आयोजन हिन्दू करें।

आर्थिक उपाय

1. आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिये कदम उठाये जायं और बेकारों को अधिक से अधिक कार्य करने के अवसर प्रदान किये जायें।

2. मजदूरों के संगठनों की बातों पर ध्यान दिया जाय।

3. कहीं-कहीं यह देखने में आया है कि कुछ उद्योग जैसे अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, मऊ में हैण्डलूम और फिरोजाबाद में चूड़ी का काम बहुत से हाथों में होता है और उसमें हिन्दू मुस्लिम का सम्मिलित प्रयास होता है इसलिए ऐसे सभी गरीब मजदूरों या श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का पूरा प्रयास होना चाहिए।

4. कभी-कभी एक समुदाय के कुछ लोगों को समृद्ध होते देखकर दूसरे समुदाय के कुछ निहित स्वार्थी तत्व साधारण बात को साम्प्रदायिकता का रूप देने का प्रयास करते हैं। जिससे दूसरे समुदाय को आर्थिक क्षति हो इसलिए सभी लोगों

के मन में यह भावना पैदा करनी चाहिए कि संबंधित उद्योग या व्यवसाय के चलने में सभी गरीब मजदूरों का हित है इसलिए साम्प्रदायिकता की भावना उनमें नहीं बढ़नी चाहिए। गरीब हिन्दू गरीब मुसलमान के हित समान हैं उनका स्वार्थ एक है। सबसे ज्यादा परेशानी दंगों के समय उन गरीबों को ही उठानी पड़ती है इसलिये उनके मन में यह भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि वे बहकावे में न आयें जिससे उद्योग धन्धे चलते रहें और उन्हें किसी प्रकार की क्षति न हो।

शैक्षिक उपाय

1. राजकीय स्तर पर हिन्दी और उर्दू साहित्यकारों एवं कवियों का एक साथ उचित सम्मान किया जाय।

2. उर्दू और हिन्दी दोनों को पाठ्यक्रमों में पढ़ाने की उचित व्यवस्था की जाय। इससे साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा।

3. साम्प्रदायिकता की भावना उत्पन्न करने में शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए शिशु कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं तक ऐसी बातों की शिक्षा दी जाय जिससे किसी धर्म या मजहब के प्रति बच्चों में घृणा की भावना पैदा न हो और सामूहिक रूप से रहने की भावना उत्पन्न हो।

4. सभी धर्मों, सम्प्रदायों के महानपुरुषों, राजाओं, बादशाहों, समाज सुधारकों संतों, जिन्होंने देश को समृद्ध बनाने में, देश के सम्मान को ऊंचा करने में, त्याग और बलिदान करने में, देश को स्वतन्त्र कराने में, देश की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर करने में योगदान किया है उनके बारे में समान रूप से पढ़ाया जाना चाहिए।

5. बच्चों को यह बता दिया जाना चाहिए कि औरंगजेब, शिवाजी, महाराणा प्रताप, अकबर बादशाह थे हिन्दू मुसलमान नहीं। इसलिए उन्होंने जो कार्य किये वे एक बादशाह की हैसियत से किये। उन्हें हिन्दू मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं समझाना चाहिए।

6. बच्चों के पाठ्यक्रम में हिन्दू और मुसलमानों में समय-समय पर सद्भाव पैदा करने वाले वाक्यात का वर्णन किया जाय। अगर रानी कर्मावती देवी ने हुमायूं को राखी बांधी तो हुमायूं ने भी उसकी रक्षा की। शिवाजी ने मुसलमान महिलाओं का सम्मान किया और उसमें मां का स्वरूप देखा।

7. हिन्दुओं ने मुसलमानों के लिए कौन-कौन मस्जिदें बनवाईं और उनके हितों की रक्षा के लिए कौन से कार्य किये। उसी प्रकार से मुसलमानों ने हिन्दुओं के लिए कौन से हिन्दू धर्म के स्थलों का निर्माण कराया और उनके हितों के लिए कौन से कार्य किये। परस्पर दोनों वर्गों के लोगों ने कब-कब एक दूसरे की रक्षा के लिए अपना बलिदान किया। इसका विशेष वर्णन होना चाहिए।

आजकल के समय दंगों में भी यह देखने में आया है कि बहुत से हिन्दुओं की रक्षा मुसलमानों ने की और मुसलमानों की रक्षा हिन्दुओं ने की। इसका व्यापक स्तर पर प्रचार होना चाहिए।

8. ऐतिहासिक घटनायें सही होने पर भी उन्हें नये परिपेक्ष्य में पढ़ाया जाय। प्राचीन पर अधिक जोर न देकर वर्तमान पर अधिक ध्यान दिया जाय।

9. अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई में जहां मानसिंह, अकबर का सेनापति था और बहुत से राजपूत सिपाही उनकी सेना में थे वहीं राणा प्रताप की सेना में भी अनेक मुस्लिम सैनिक थे जिन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई में अपने प्राण दिये। इस प्रकार शिवाजी और औरंगजेब की सेनाओं में जहां शिवाजी के तोपची सेनापति एक मुसलमान

थे वहीं पर औरंगजेब की सेना में सेनापति महराज जयसिंह थे और उनकी सेना में हजारों हिन्दू राजपूत सैनिक थे । इस प्रकार इनकी लड़ाई दो बादशाहों की लड़ाई थी, हिन्दू मुसलमान की नहीं। ऐसे वाक्यात का विवरण पाठ्य-पुस्तकों में होना चाहिए जिससे दोनों सम्प्रदायों के बीच में सौहार्द्र पैदा हो सके।

10. शिक्षा संस्थाओं में स्काउटिंग, खेलकूद, एन0सी0सी0 की शिक्षा अनिवार्य की जाय। इससे सभी समुदाय के छात्रों को एक साथ रहने, खाने-पीने का अवसर मिलता है जिससे सद्भाव में वृद्धि होती है।

11. सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे सामूहिक नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायं जिससे सभी धर्मों, वर्गों के लोगों में सद्भावना पैदा होता हो। ऐसे सामाजिक उत्सवों में छात्रों को अवश्य सम्मिलित किया जाय।

12. स्कूलों में सभी धर्मों की शिक्षा दी जाय जिसमें सभी धर्मों के अवतारों पैगम्बरों, त्योहारों के बारे में जानकारी दी जाये। किसी धर्म की बुराई न की जाय। इस प्रकार नैतिक शिक्षा भी पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से रखी जाय।

13. ऐसी शिक्षा संस्थायें जहां साम्प्रदायिकता की भावना को उभारने वाली शिक्षा दी जाती हो उन पर रोक लगायी जाय।

14. पाठ्यक्रम में रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था की जाय जिससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद नवयुवक बेकार होकर उदण्ड न बनें।

स्कूलों में अनिवार्य रूप से प्रतिदिन सामूहिक रूप से देश प्रेम संबंधी गीत गाये जायं । "जैसे सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा"। उनका इतिहास में विशेष रूप से सम्मान सहित उल्लेख किया जाय।

15. देश का इतिहास नये सिरे से लिखा जाये और अंग्रेजों की "फूट डालो राज्य करो की नीति के अनुसार जिन विषयों का समावेश उसमें कर दिया गया है उसे निकाल दिया जाय और परस्पर मेल पैदा करने वाली चीजों पर जो परदा डाल दिया गया है उसे सही रूप में लिखने पर जोर दिया जाये।

16. जिन लोगों ने देश की लड़ाई में भाग लिया तथा देश की रक्षा में जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं उनका व्यापक रूप में इतिहास में उल्लेख किया जाय।

'हमारे देश की लड़ाई में जिन लोगों ने मुल्क से बाहर रहकर देश को आजाद कराने में तथा दूसरी तरह से देश की इज्जत बढ़ाने में भूमिका निभाई है उनका भी इतिहास में उल्लेख होना चाहिए।

'विभिन्न धर्मों में जिन व्यक्तियों, महापुरुषों ने बलिदान की, त्याग की, कुर्बानी की मिसालें कायम की हैं उनके संदेश जीवन और कार्य कलापों का भी व्यापक में उल्लेख होना चाहिए।'

इतिहास संबंधी उपाय

1. साम्प्रदायिक दंगे अंग्रेजों की देन है अंग्रेजों ने आजादी और इन्कलाब की बगावत से लोगों का ध्यान हटाने के लिये साम्प्रदायिक दंगे कराये। औरंगजेब ने बादशाह की हैसियत से भले ही जुल्म किये हों लेकिन मुसलमान की हैसियत से नहीं। महमूद गजनवी को एक विदेशी हमलावर समझकर निन्दा की जा सकती है। इस प्रकार नये सिरे से इतिहास लिखा जाना चाहिए।

2. प्राचीन इतिहास के विवादास्पद प्रसंगों को प्रधानता न देकर वर्तमान इतिहास पर अधिक ध्यान दिया जाय।

3. ऐसी पुस्तकें जिनमें कहा जाता है कि कौन कहता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, कौन कहता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया। यह इतिहास को झुठलाना है ऐसी पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

4. इतिहास के अन्दर बहुत सी चीजों के सही होने पर भी उनको, इतिहास में रखने के लिये नये ढंग से विचार कर लिया जाय कि वह साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली भावना को तो नहीं बढ़ाती है। यदि ऐसा होता है तो उन्हें इतिहास में न रखा जाय।

ऐतिहासिक दृष्टि से यदि कोई घटना हुई हो, वह सत्य भी है किन्तु उससे सद्भावना को चोट पहुंचती हो तो ऐसी ऐतिहासिक घटनायें छोटे बच्चों को न पढ़ाई जायं।

सांस्कृतिक उपाय

1. मध्य युग में शर्की सुल्तानों की सहिष्णुता की नीति सूफी सन्तों के आदर्शों, उनके द्वारा निर्मित इमारतों की जानकारी होने पर साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने में सहयोग मिलता है। जहां पर हिन्दुओं ने मुसलमानों के लिये और मुसलमानों ने हिन्दुओं ने धार्मिक स्थल बनवाये हैं जैसे अलीगंज लखनऊ का हनुमान मंदिर बेगम हजरत महल ने, बरेली में राधा कृष्ण के मंदिर को एक मुस्लिम व्यापारी ने बनवाया, इसी तरह कुछ हिन्दुओं ने मुसलमानों के लिये मसजिदें बनवायीं जिनमें टिकैत राय का नाम लिया जा सकता है। इसका प्रचार प्रसार किया जाय।

2. उर्दू, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों का जन्म दिवस सभी लोग मिलकर मनायें।

3. हिन्दुओं को मुसलमानों के और मुसलमानों को हिन्दुओं के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं उत्सवों में सम्मिलित होने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।

4. सूफियों और सन्तों के संदेशों का दोनों वर्गों में प्रचार किया जाय।

5. नागरिक परिषद् में साहित्यकारों, रचनाकारों, पत्रकारों, शायरों एवं कवियों को समान रूप से सम्मिलित किया जाय।

6. हिन्दुओं और मुसलमानों के परम्परागत रीति रिवाजों का समान रूप से आदर किया जाय।

7. सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न धर्मों के लोगों को जाने दिया जाये उनके प्रति समानता का व्यवहार किया जाय।

8. सार्वजनिक भोजनालयों में हिन्दू और मुसलमानों दोनों की समान रूप से व्यवस्था की जाय ।

9. वाजिद अली शाह तथा अवध के नवाबों तथा दूसरे बादशाहों की हिन्दू मुस्लिम सद्भाव की भावना का प्रचार किया जाय।

10. ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, आसफुद्दौला का इमामबाड़ा, जौनपुर का शाही पुल, शर्की सुलतानों द्वारा बनवाई गई मस्जिदें, फैजाबाद के नवाब द्वारा निर्मित इमारतें, इलाहाबाद के संगम पर अकबर का किला आदि राष्ट्रीय स्मारक हैं। इन चीजों के प्रति लोगों में प्रेम और लगाव उत्पन्न करने का प्रयास होना चाहिये।

11. ऐसे साहित्य को पुरस्कृत किया जाय जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता हो।

धार्मिक उपाय

1. विभिन्न धर्मों की पुस्तकें हिन्दी, उर्दू में अनुवाद कर लोगों के लिये सुलभ कराई जायं।

2. शियों के मजलिसों में सुन्नी और सुन्नी के मजलिसों और मिलादों में शियों को आमंत्रित किया जाय।

3. हिन्दू और मुस्लिम समुदाय की रूढ़िवादिता एवं अन्ध विश्वास को समाप्त करने के उपाय किये जायें।

4. दोनों धर्मों की धार्मिक भावनाओं एवं संस्कृतियों के प्रति एक दूसरे में आदर की भावना पैदा की जाय।

5. हर धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करें लेकिन दूसरे धर्म की बुराई न करें।

6. छुआछूत को दूर किया जाय जिससे विभिन्न धर्मों में समानता का भाव पैदा हो।

प्रशासनिक उपाय

1. दंगों का बढ़ना या रुकना प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य कुशलता पर निर्भर है। जो अधिकारी तुरन्त ही उचित निर्णय लेकर कार्य करते हैं वहां दंगे नहीं होते। जो निर्णय लेना हो तुरन्त लें। अगर 60 प्रतिशत भी सही निर्णय हो तो तत्काल लेना चाहिए वह ज्यादा अच्छा होगा बनिस्वत 100 प्रतिशत सही निर्णय अधिक देर में लेने के।

2. प्रशासनिक अधिकारी तुरन्त मौके पर जायं स्थिति पर तत्काल नियंत्रण और अफवाहों का खण्डन करें। इसके बाद वहां के लोगों को साथ लेकर मुहल्लों में जाकर लोगों से बात करें और सबसे मिलें जुलें। इसके बाद आंकलन करें। कौन उस घटना से प्रभावित है कौन नहीं। हर घटना पर नियंत्रण के लिये एक ही नियम न हो। हर घटना के नियंत्रण में अपने विवेक का इस्तेमाल करें।

3. प्रशासनिक अधिकारियों और जनता में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना होनी चाहिए। यदि जनता में अधिकारियों के प्रति यह भावना पैदा होगी कि अधिकारी जो भी कार्य करेगा वह सही करेगा तो इससे अधिकारी के द्वारा उठाये गये कदम का विरोध नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति जनता का विश्वास धीरे धीरे पैदा होता है। वह एक दिन में पैदा नहीं होता। इसलिये प्रशासनिक अधिकारियों को जनता की छोटी मोटी कठिनाइयां विवादों का भी सही ढंग से निवारण करने का प्रयास करना चाहिये। अगर जनता का विश्वास अधिकारियों को प्राप्त होता है तो इस तरह के दंगे नहीं होते और कहीं हो गये तो वे तुरन्त ही दब जाते हैं। जहां पर प्रशासनिक अधिकारी जनता की भावनाओं का आदर नहीं करते वहां जनता में अधिकारियों के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाती है और ऐसे अवसरों पर वह दंगों को समाप्त करने में सहायक नहीं होती।

4. पी0 ए0 सी0 का रोल ऐसे अवसरों पर बहुत अच्छा नहीं होता। आम जनता के मन में यह भावना पैदा हो गई है कि पी0 ए0 सी0 के सिपाही दंगा बढ़ाने में सहायक होते हैं क्योंकि वे लूटपाट में हिस्सा लेते हैं इसलिये उनके द्वारा दंगा दबता नहीं बल्कि बढ़ता है।

5. पी0 ए0 सी0 में एक ही वर्ग या समुदाय के लोग होते हैं इसलिये दूसरे वर्ग या समुदाय के मन में यह भावना घर कर लेती है कि उनके द्वारा हमारा कोई हित

नहीं होगा। इसलिये पी0 ए0 सी0 में अल्प संख्यकों एवं हरिजनों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाय और उनको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाय । जिस प्रकार इंग्लैण्ड में इस कार्य के लिये एक विशेष फोर्स है उसी प्रकार से इनको प्रशिक्षित किया जाये, जिससे यह कम से कम शक्ति का प्रयोग करके दंगों को दबाने में सहायक हो। ऐसा होने से सभी सम्प्रदायों के मन में पी0ए0सी0 के प्रति विश्वास की भावना पैदा होगी ।

6. यदि कहीं पर दंगा होता है और वहां का अधिकारी तत्काल ही उचित ढंग से नियंत्रण नहीं कर पाता है तो उसे कुछ समय बाद वहां से हटा देना चाहिये।

7. कोई भी अधिकारी यह नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगा हो क्योंकि वह समझता है कि साम्प्रदायिक दंगा होने पर उसके सामने अनेक कठिनाइयां आयेंगी, इस लिये जानबूझ कर वह ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जिससे दंगों को बढ़ावा मिले । फिर भी अगर कहीं दंगा हो जाता है तो तुरन्त ही उस अधिकारी को ट्रान्सफर कर देने से और दूसरे नये अधिकारी के वहां पहुंचने पर, जिसे वहां की जानकारी नहीं है, दंगे को दबाने में सहायता नहीं मिलती है, किन्तु अधिकारियों का दोष सिद्ध हो तो बाद में उन्हें अवश्य दंडित किया जाय। इसी प्रकार जहां अधिकारी अपने अपने कार्य क्षेत्र में दंगे को रोकने और दंगा न होने देने में कुशलतापूर्वक कार्य करते हो उनको प्रशंसा पत्र और तरक्की के अवसर प्रदान किये जायं इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे इसी तरह का अच्छा कार्य करेंगे।

8. अधिकारियों को यह जानकारी होनी चाहिये कि दंगे को रोकने के बजाय दंगा न होने देना ही अच्छा है दंगा कहीं पर न हो इसके लिये जो प्रयास किये जायेंगे उससे दंगा रुक सकता है कहीं दंगा हो जाने पर उसे दबाना मुश्किल होता है। इसलिये अधिकारियों द्वारा यह प्रयास होना चाहिये कि दंगा न होने पाये।

9. 1974 के पूर्व सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत परगना मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी दंगा करने वाले को पकड़ कर जेल भेज देता था और उसकी जमानत नहीं होती थी किन्तु नई सी0 आर0 पी0 सी0 में किसी दंगे से संबंधित व्यक्ति को पकड़कर अक्सर फर्जी दफाओं में रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट के बाद बंद किये जाने वाला व्यक्ति यदि इज्जतदार है और क्रिमिनल नहीं है तो ऐसे मामलों में जनता रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करती और प्रशासन से उसका विश्वास हट जाता है।

जुडीशियल मजिस्ट्रेट के यहां से दंगे में पकड़े गये व्यक्ति की तुरन्त ही जमानत हो जाती है इसलिये साम्प्रदायिक दंगा कराने वाला प्रशासन का शत्रु बन जाता है वह यह समझता है कि प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है इसलिये साम्प्रदायिक दंगों में अभियुक्तों के लिये ऐसा कानून बनाया जाय जिसमें दंगा करने या कराने वालों की स्थिति सामान्य होने तक जेल में बंद रखा जाय और बाद में मुकदमा चलाकर उनको शारीरिक एवं आर्थिक दण्ड दिये जाने की व्यवस्था की जाय। स्थिति को कन्ट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों की होनी चाहिये।

10. अफवाह फैलाने वालों को तुरन्त गिरफ्तार करके दूसरे जिले में भेज दिया जाय। अफवाहों का खण्डन अधिकारियों के बजाय नागरिक परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाय उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त रेडियो, टेलीविजन, लाउडस्पीकर, अखबारों के माध्यम से अफवाहों का निराकरण किया जाय।

11. प्रभावित या संवेदनशील नगरों के स्तर पर नागरिक परिषद् या शान्ति समितियों की स्थापना की जाय जिसमें सभी राजनैतिक दलों के अतिरिक्त सभी सम्प्रदायों के गैर राजनैतिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों, कवियों, शायरों, साहित्यकारों, पत्रकारों

को रखा जाय। इसकी बैठक मासिक या आवश्यकतानुसार बुलाई जाय। साम्प्रदायिक दंगों के अवसर पर नागरिक परिषद् या शान्ति समिति के सदस्यों को इसका उत्तरदायित्व दिया जाय।

12. दंगों के समय झूठी या दंगा भड़काने वाली खबरों को छापने वाले अखबारों के विरुद्ध प्रेस कौंसिल में शिकायत की जानी चाहिये ।

13. प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों के नियुक्ति के समय यह देखा जाय कि उसका सम्बन्ध किसी साम्प्रदायिक संस्था से तो नहीं रहा है और अगर कभी साम्प्रदायिक संस्था से उसका संबंध रहा है तो उस व्यक्ति को प्रशासन की सेवा में न लिया जाय।

14. एल0आई0यू0 से पूरी सूचना नहीं प्राप्त होती है क्योंकि उसके पास साधनों का अभाव होता है इसलिये उसे साधन सम्पन्न बनाया जाय । उसके साथ ही उसके कर्मचारियों को ट्रेनिंग की अच्छी व्यवस्था की जाय । इन लोगों की नियुक्ति की जानकारी एस0 पी0 को हो। दूसरे लोगों को जानकारी नहीं होनी चाहिए। एल0आई0यू0 को अपने क्षेत्र की सही सूचना न देने पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

15. प्राय: सिविल पुलिस वालों की इच्छा न होने पर भी इन्टेलीजेन्स विभाग में भेज दिया जाता है इसको वे दण्ड समझते हैं और दिये गये कार्य को भलीभांति नहीं करते हैं । वहां से बार बार भगाने की कोशिश करते हैं इसलिये गुप्तचर विभाग में स्पेशलाइ-जेशन का सिस्टम होना चाहिये । पुलिस से गुप्तचर विभाग में ट्रान्सफर न हो। गुप्तचर विभाग का एक स्पेशलाइज कैडर बनायें और उन्हें पैसे के अतिरिक्त अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जायें । जो सी0आई0डी0 में फिट हों उन्हें सी0आई0डी0 और जो सिविल में फिट हों उन्हें सिविल में भेजा जाये ।

16. दंगा होने पर तुरन्त फैक्ट-फाइडिंग कमेटियां वहां न जायें, ऐसे अवसर पर कुछ ऐसे लोग मागने आ जाते हैं जो गलत तत्व होते हैं किन्तु कमेटी उनके बारे में कुछ नहीं जानतीं । यह लोग ऐसे मामलों को राजनैतिक रुप देने की कोशिश करते हैं।

17. दंगा होने पर वी0 आई0 पी0 और राजनैतिक दलों के व्यक्ति को दंगा स्थलों पर तुरन्त नहीं जाना चाहिये क्योंकि प्रशासन के अधिकारी वी0 आई0 पी0 की सुरक्षा और स्वागत में लग जाते हैं जिससे प्रशासन को दंगा रोकने में कठिनाई हो जाती है।

18. कभी कभी विदेशी एजेन्सियां भी झगड़ा कराने में प्रोत्साहन देती हैं इस-लिये इन पर कड़ी नजर रखी जाय।

19. सेन्सटिव स्थानों पर दंगों के समय बाहरी लोगों के आने पर नजर रखी जाय।

20. प्रभावित परिवारों से सम्पर्क कायम करके उनकी कठिनाई दूर की जाय।

21. अफवाहें फैलाने वालों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और असामाजिक तत्वों, जिनकी सूची जिलाधिकारी के पास है, के खिलाफ दंगा होने से पहले ही कार्यवाही की जाय ।

22. पुलिस थाने व चौकी पर जितने पुलिस कर्मी तैनात हों उतने ही संख्या में वहां शस्त्र उपलब्ध होने चाहिये ।

23. जिन स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रानिक उपकरण के लगाने की व्यवस्था की जाय। दिल्ली में वाहनों के नियंत्रण के लिये इस तरह के इलेक्ट्रा-निक कैमरे एवं मशीनें लगी हुई हैं, जिससे वाहन चालकों को यह भय रहता है कि यदि हमने गलत ढंग से गाड़ी चलाई तो नम्बर नोट हो जायेगा और हमारे ऊपर मुकदमा चलेगा। उसी तरह से साम्प्रदायिक दंगों के समय ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की मशीनों की व्यवस्था की जाय, जिससे दंगा कराने वालों में यह भय बना रहे कि अगर हमने कोई हरकत की तो हमारा फोटो मशीनों के द्वारा ले लिया जायेगा और हम पकड़े जा सकते हैं।

24. उत्तर प्रदेश में विशेषकर अत्यधिक संवेदनशील नगरों में इस तरह के उपकरणों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर अवश्य कर दी जाय ।

25. बहुत से साम्प्रदायिक दंगे ऐसे स्थलों पर होते हैं, जहां पर संकरी गलियां और कई मंजिल की इमारतें होती हैं वहां पर कुछ अंधेरी जगह भी होती है, वहां पर साम्प्रदायिक दंगे करने वाले पनाह लेते हैं और वहां पर दंगे की योजनायें बनाते हैं। ऐसे स्थान पर पुलिस को दंगो पर काबू पाने में बड़ी कठनाई होती है क्योंकि इमारतों के ऊपर ईंटे, बोतलों से तथा अन्य प्रकार से आक्रमण कर दिया जाता है। कहीं कहीं दंगा करने वाले आक्रमण के बाद गलियों में छुप जाते हैं जिनका पता लगाना कठिन होता है, ऐसी संकीर्ण गलियों और गन्दी बस्तियों को साफ कर देने पर विचार करना चाहिए और वहां बसे हुये लोगों के लिये उससे अच्छी व्यवस्था सरकार खुले स्थान पर करे। यद्यपि यह व्यवस्था बड़ी खर्चीली है किन्तु ऐसी जगहों पर यदि बार बार दंगे होते हैं तो उसे गिरा कर साफ करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

26. स्वास्थ के लिये ध्वनि प्रदूषण से बचना भी आवश्यक है । आजकल धार्मिक कृत्यों के नाम पर प्रतिदिन अथवा 24 घंटे लाउडस्पीकरों से शोर होता है, जिस से रोगियों, छात्रों तथा साधकों आदि ऐसे व्यक्ति जो उसे सुनना पसंद नहीं करते उन्हें भी सुनने को मजबूर किया जाता है । इससे दूसरे धर्म के व्यक्तियों के मन में उन धार्मिक कृत्यों से द्वेष पैदा होता है । ऐसे धार्मिक कृत्यों के नाम पर लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । बिना लाउडस्पीकर लगाये जो लोग उन धार्मिक कृत्यों को करते हैं उसमें बाधा नहीं पहुंचाई जानी चाहिये ।

27. सरकारी कार्यालयों, कालोनियों एवं सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थानों का निर्माण किया जाता है । जब किसी एक धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल बनता है तो दूसरे धर्म के मानने वाले कर्मचारियों व जनता के मन में उसके प्रति द्वेष पैदा होता है । इसलिये कार्यालयों, कालोनियों या सरकारी भूमि पर पूजा स्थल, समाधि, मजारों के बनाने पर रोक लगानी चाहिये ।

28. समिति यह अनुभव करती है कि संविधान में अल्प संख्यकों की शिक्षा संस्थाओं में माइनोरिटी करेक्टर कायम रखने की बात कही गई है, किन्तु इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ अल्पसंख्यक करेक्टर की प्रबन्ध समिति वहां के अध्यापकों का शोषण करती है और माइनोरिटी करेक्टर का सहारा लेती है। इससे अध्यापकों के अंदर असन्तोष की भावना पैदा होती है। इसलिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाय कि उनकी धार्मिक भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाये वहां के माइनोरिटी करेक्टर को कायम रखते हुए भी उसकी प्रबन्ध समिति में सरकार या दूसरे वर्गों के प्रतिनिधियों को भी रखने की व्यवस्था पर विचार करें।

29. जब कभी दंगे हो जाते है वहां की जनता पर सामूहिक जुर्माना लगाया जाता है। कुछ अंशों तक ऐसा करना ठीक होता किन्तु इसमें यह सम्भावना बनी रहती है कि बहुत से निर्दोष व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, इसलिये यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि सामूहिक जुर्माने से निर्दोष व्यक्ति बच सकें।

अन्य उपाय

1. साम्प्रदायिक शब्द को हटा दिया जाय । साम्प्रदायिक दंगों को साम्प्रदायिक दंगा न कहकर दो गुटों का झगड़ा कहा जाय ।

2. महिलायें मां, बहन, और लड़की होती हैं । साम्प्रदायिक अवसरों पर सभी वर्गों की महिलायें इकट्ठी होकर पीड़ित मुहल्लों में जाकर सबके बीच सद्भाव बनाने में सहायक हो सकती हैं।

3. समाचार पत्रों को स्वयं अपनी आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए कि किस प्रकार के समाचार ऐसे अवसरों पर छापे जायें और किस प्रकार के नहीं। इसका निर्णय वे स्वयं करें । बहुत सी खबरें सही होने पर भी ऐसे ढंग से प्रकाशित की जायें जिससे साम्प्रदाकिता की भावना को बढ़ावा न मिले।

4. समाचारों के ऐसे शीर्षक न दें कि लोग उसे पढ़ते ही भड़क उठें ।

5. अवांछनीय तथा असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाय क्योंकि उनका कोई धर्म और जाति नहीं होती। उनका एक ही धर्म होता है लूटो-मारो और खाओ।

6. हिन्दू और मुसलमानों का जहां बराबर सम्पर्क होता है वहां भी साम्प्रदायिक दंगे कम होते हैं ।

7. दंगा वह नहीं कराते जो चाकू मारते हैं। वह चन्द रुपयों के लालच में चाकू मारकर भाग जाते हैं। कुछ असामाजिक तत्व भी मरने वालों के लिए चन्दा वसूल करने में शरीक रहते हैं । ऐसे लोगों पर नजर रखी जाय ।

परिशिष्ट 'क'

समिति निम्नलिखित तिथियों तथा उनके सामने अंकित स्थानों पर अपनी बैठकें की—

दिनांक	स्थान
10 फरवरी, 1981	लखनऊ
25 फरवरी 1981	,,
3 मार्च, 1981	,,
27 मार्च, 1981	,,
6 अप्रैल, 1981	,,
21 अप्रैल, 1981	,,
22 अप्रैल, 1981	पीलीभीत
23 अप्रैल, 1981	बरेली
24 अप्रैल, 1981	रामपुर
24 अप्रैल, 1981	मुरादाबाद
24 अप्रैल, 1981	अमरोहा
25 अप्रैल, 1981	नरोरा
26 अप्रैल, 1981	अलीगढ़
27 अप्रैल, 1981	फिरोजाबाद
28 अप्रैल, 1981	,,
29 अप्रैल, 1981	इलाहाबाद
30 अप्रैल, 1981	लखनऊ
6 मई, 1981	,,
15 मई, 1981	,,
5 जून, 1981	,,
16 जून, 1981	,,
25 जून, 1981	,,
26 जून, 1981	,,
13 जुलाई, 1981	,,
14 जुलाई, 1981	जौनपुर
15 जुलाई, 1981	वाराणसी
16 जुलाई, 1981	मऊ
17 जुलाई, 1981	गोरखपुर
18 जुलाई, 1981	गोरखपुर
19 जुलाई, 1981	फैजाबाद
20 जुलाई, 1981	लखनऊ
28 जुलाई, 1981	,,
29 जुलाई, 1981	,,
30 जुलाई, 1981	,,
31 जुलाई, 1981	,,
12 अगस्त, 1981	,,
13 अगस्त, 1981	,,
29 अगस्त, 1981	,,
31 अगस्त, 1981	,,
3 अक्तूबर 1981	,,

1:

दिनांक	स्थान
5 अक्तूबर, 1981	लखनऊ
19 अक्तूबर, 1981	,,
20 अक्तूबर, 1981	,,
21 अक्तूबर, 1981	,,
6 नवम्बर, 1981	,,
7 नवम्बर, 1981	,,
24 नवम्बर, 1981	,,
25 नवम्बर, 1981	,,
2 दिसम्बर, 1981	,,

परिशिष्ट 'ख'

दिनांक 22 अप्रैल, 1981 को जिला पीलीभीत के जिलाधिकारी, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों, राजनैतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची—

1. श्री राय सिंह, जिलाधिकारी
2. श्री बलराज सिंह, पुलिस अधीक्षक
3. श्री सर्वेश चन्द्र मिश्र, परगनाधिकारी, बीसलपुर
4. श्री बेगराम सिंह, सी0 ओ0
5. श्री नफीस अहमद, प्रेस रिपोर्टर, सियासत और मिलाप
6. श्री राम औतार गुप्ता, प्रेसीडेन्ट रोटरी क्लब
7. डा0 तारा चन्द्र तलवार
8. श्री रामेश्वर नाथ, प्रेसीडेन्ट, सिटी लोकदल,
9. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, उपाध्यक्ष, लोकतांत्रिक दल
10. श्री विशन स्वरूप सक्सेना, दैनिक जागरण, स्थानीय सम्वाददाता
11. श्री वीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी
12. श्री अशोक खण्डेलवाल, रेडक्रास सोसायटी
13. श्री गेंदा लाल, पिछड़ा वर्ग समिति
14. श्री रोशन लाल, अध्यापक
15. श्री लाल बहादुर सक्सेना, डिवीजन सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश किसान मजदूर वाहिनी
16. श्री प्रभाष चन्द्र मिश्र, कांग्रेसी कार्यकर्ता
17. श्री शिव कुमार शर्मा, भूतपूर्व चेयरमैन, जिला परिषद्
18. श्री चरन जीत, एम0 एल0 ए0

दिनांक 23 अप्रैल, 1981 को जिला बरेली के जिलाधिकारी, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों, राजनैतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची—

1. श्री डी0 एस0 बग्गा, जिलाधिकारी
2. श्री ज्ञान दास महेश्वरी, अतिरिक्त जिलाधिकारी
3. श्री बी0 एल0 यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
4. प्रो0 नारायण सिंह, कांग्रेस आई कार्यकर्ता
5. श्री दिनेश चन्द्र, छात्र प्रतिनिधि
6. श्री मुल्क राज भसीन, नगर मंत्री भारतीय जनता पार्टी
7. श्री रामेश्वर सिंह चौहान, प्रेसीडेन्ट, लोक सेवा समिति,
8. श्रीमती विमला शुक्ला, प्राचार्या महिला महाविद्यालय,
9. श्री धीरेन्द्र नाथ मेहरोत्रा
10. श्री प्रेम प्रकाश, मंत्री जिला सर्वोदय मण्डल
11. श्री बी0 आर0 मिगलानी, प्रेस करेसपान्डेन्ट, वीर अर्जुन, मेल मिलाप
12. श्री सूबेदार खां, अध्यक्ष, नगर जनता पार्टी
13. श्री सत्य प्रकाश, भूतपूर्व मंत्री, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी
14. श्री राम लाल शाक्य, कौमी एकता, जनरल सेक्रेटरी
15. श्री नरेन्द्र मोहन मुखर्जी, पत्रकार, पी0 टी0 आई0
16. श्री गोपाल बिनोदी, सदस्य, प्रगतिशील लेखक संघ।

दिनांक 24 अप्रैल, 1981 को जिला रामपुर के जिलाधिकारी, समाजसेवी, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिए गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची--

1. श्री ए0 के0 गुप्ता, जिलाधिकारी
2. श्री एस0 पी0 सिंह, पुलिस अधीक्षक
3. श्री आर0 सी0 दुआ, सिटी मजिस्ट्रेट
4. श्री फकीर चन्द्र, सी0 पी0 आई0 एम0
5. श्री केशव दत्त श्रोत्रीय
6. श्री सुल्तान खां
7. श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना
8. श्रीमती विमला निगम, प्रिन्सिपल गवर्नमेन्ट इण्टर कालेज,
9. श्री माजिद अली खां, अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी
10. श्री नासिरुद्दीन
11. श्री देवी दयाल गर्ग, महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी
12. श्रीमती मलिका बानो, हेड मिस्ट्रेस
13. श्री गिरीश चन्द्र सक्सेना, प्रिन्सिपल
14. डा0 सुचेता
15. श्री सत्य प्रकाश शर्मा, प्रधानाचार्य, सुन्दर इण्टर कालेज
16. श्री राम सिंह, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी
17. प्रधानाचार्य, राजकीय नैनिक जूनियर स्कूल, पुरानी ईदगाह,
18. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
19. प्रधानाचार्य, राजकीय रजा स्नातक महाविद्यालय
20. प्रधानाचार्य, राजकीय बेसिक स्कूल, वारिया
21. प्रधानाचार्य, राजकीय बेसिक स्कूल, कूंचा देवी दास
22. प्रधान अध्यापिका, राजकीय जूनियर हाई स्कूल,
23. हेड मिस्ट्रेस, गर्ल्स बेसिक स्कूल
24. प्रधानाचार्या, थीटर राजकीय बेसिक स्कूल
25. आर0 पी0 सक्सेना, अध्यापक, सी0 टी0, जूनियर हाई स्कूल,
26. श्री बिनोद कुमार शुक्ल, उपाध्यक्ष, परिषदीय छात्र संघ, रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
27. सैयद अब्दुल माईन, सचिव परिषदीय संघ, राजकीय महाविद्यालय

दिनांक 24 अप्रैल, 1981 को मुरादाबाद के अधिकारी, समाजसेवी, बुद्धजीवियों, राजनीतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं, तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची–

1. श्री आर0 ढिल्लो, पुलिस अधीक्षक
2. श्री ए0 के0 सिंह, ए0 डी0 एम0 सिटी
3. श्री जे0 पी0 मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट
4. कु0 नसीम, संयोजक जिला अमन कमेटी
5. डा0 जे0 सी0 अग्रवाल,
6. श्री सुरेश दत्त शर्मा, प्रधानाचार्य
7. श्री मुमताज अन्सारी
8. कु0 सावित्री खन्ना, प्रधानाचार्य आर्य इण्टर कालेज
9. श्री वीरेन्द्र त्यागी, कांग्रेस आई

10. डा0 ज्ञानवती अग्रवाल, प्रधानार्या
11. श्री हरिओम शर्मा, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी
12. श्री नन्द किशोर, सेक्रेटरी जिला अमन कमेटी
13. श्री राम गोपाल, अध्यक्ष, छात्र संघ
14. श्री बी0 एन0 टण्डन, प्राचार्य के0 जी0 कालेज
15. श्री हर्ष भाल
16. माननीया ऊषा सिंघल, एडवोकेट
17. श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी, भूतपूर्व विधायक
18. श्री रईस अहमद, अध्यक्ष, नगर प्राथमिक संघ
19. कु0 विभा भारद्वाज, छात्रा, कौशिल्या इण्टर कालेज
20. कु0 तिलोरमा, छात्रा कौशिल्या इण्टर कालेज
21. कु0 शुभा जैन, छात्रा कौशिल्या इण्टर कालेज
22. कु0 ममता गुप्ता, छात्रा कौशिल्या इण्टर कालेज
23. प्रधानाचार्य, राजकला, पी0 डी0 ए0 गर्ल्स इण्टर कालेज मण्डी वांस
24. प्रधानाचार्य, मुस्लिम इण्टर कालेज
25. प्रधानाचार्ग, गोकुल हिन्दू गर्ल्स कालेज
26. श्री सुरेश दत्त शर्मा, पथिक प्रधानाचार्य, अम्बिका प्रसाद इण्टर कालेज
27. श्री लक्ष्मण प्रसाद
28. श्रीमती सावित्री देवी शर्मा, अध्यापिका जू0 हा0 मुफ्ती टोला
29. कु0 सितारा बेगम, प्रधानाचार्य, कन्या जू0 हा0 स्कूल, मुगलपुर
30. प्रधानाध्यापक, जू0 हा0 स्कूल, पी0 ए0 सी0
31. श्रीमती देवी गुप्ता, कन्या जू0 विद्यालय, पी0 ए0 सी0
32. श्री ओम शंकर शर्मा, मंत्री नगर प्राथमिक शिक्षक संघ
33. श्री राम चन्द्र, बेसिक पाठशाला, पी0 ए0 सी0
34. प्रधानाध्यापिका, बेसिक स्कूल, कंजरी सराय
35. कु0 एस0 लाल0, प्रवक्ता, मैथमेटिक्स, गर्ल्स इण्टर कालेज।

दिनांक 24 अप्रैल, 1981 को अमरोहा के अधिकारी, समाजसेवियों, बुद्धजीवियों, राजनैतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची—

1. परगनाधिकारी,
2. श्री वी0 पी0 सिंह, सी0 ओ0,
3. श्री देव दत्त शर्मा
4. मो0 हसन बेग
5. श्री सतीश चन्द्र गोयल
6. मो0 साबिर हुसैन
7. श्री हसन अब्बास, प्रधानाचार्य
8. श्री खुर्शीद आलम, सदस्य, विधान सभा
9. श्री रवीन्द्र जैन
10. श्री लक्ष्मी नारायन शर्मा
11. श्री वेद प्रकाश अग्रवाल
12. श्री किशन लाल जाटव
13. श्री टीकम सिंह,

दिनांक 26 अप्रैल, 1981, को जिलाधिकारी, अलीगढ़, समाजसेवियों, बुद्धजीवियों, राजनैतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची—

1. श्री आर0 आर0 शाह, जिलाधिकारी,
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
3. श्री राम चन्द्र जैसवाल, अध्यक्ष, लाक मैन्युफैक्चर्स एसोसियेशन
4. श्री यतेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष स्टूडेन्ट फेडरेशन, डी0 एस0 कालेज,
5. श्री मुरारी लाल, भूतपूर्व प्राचार्य, वार्ष्णेय कालेज
6. डा0 धर्म पाल, सदस्य, विधान सभा,

दिनांक 28 अप्रैल, 1981 को फिरोजाबाद (आगरा) के अधिकारियों समाजसेवियों, बुद्धजीवियों, राजनैतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची—

1. अतिरिक्त जिलाधिकारी, आगरा
2. श्री राम सिंह, परगनाधिकारी
3. श्री अरविन्द कुमार, उपाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी
4. श्री जगन्नाथ लहरी, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा
5. श्री रघुवर दयाल वर्मा
6. श्री पी0 सी0 चतुर्वेदी, एडवोकेट
7. श्री अब्दुल सलाम, एडवोकेट
8. श्री गुलाम नबी, स्थानीय विधायक
9. श्री गोपाल प्रसाद, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
10. डा0 एम0 एस0 भटनागर, सचिव, रोटरी क्लब।

दिनांक 29 अप्रैल, 1981 को इलाहाबाद के जिलाधिकारी, समाजसेवियों, बुद्धजीवियों, राजनैतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची—

1. श्री वी0 के0 चतुर्वेदी, जिलाधिकारी
2. श्री हरिदास राव, एस0एस0पी0
3. श्री वी0पी0 सिंह, ए0डी0एम0, सिटी
4. श्री जे0 पी0 विश्वकर्मा, ए0 डी0 एम0, डेवलपमेन्ट
5. कु0 ज्ञान कुमारी
6. श्री फरीद बेग चुगताई, प्रधानाचार्या, दौलत हुसैन मुस्लिम इण्डियन हाई स्कूल
7. मो0 मेंहदी, एडवोकेट
8. कैप्टन वी0के0 वर्मा
9. श्री यू0एस0 जैदी, कांग्रेस अर्स
10. श्री शम्भू नाथ अग्रवाल
11. श्री बजरंगी सिंह
12. श्री पी0के0 मेहरोत्रा
13. श्री बद्री प्रसाद त्रिपाठी
14. श्री अब्दुल रहमान
15. श्री राम सागर मिश्र
16. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा

17. श्री केशव दत्त मिश्र
18. श्री राम कृष्ण श्रीवास्तव, महामंत्री शहर कांग्रेस आई
19. श्री अब्दुल वहाब सिद्दीकी, पत्र प्रतिनिधि
20. मो0 नसीम अंसारी, सी0पी0आई0
21. श्री गुलाम रसूल
22. श्री विश्वनाथ टण्डन
23. श्री विनय कुमार पाण्डे, छात्र प्रतिनिधि
24. श्री मुस्ताक अहमद
25. श्री आर0एम0पाण्डे
26. प्रधानाचार्य, मजीदिया इस्लामियां इण्टर कालेज
27. श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डे, अध्यक्ष, छात्र संघ, इलाहाबाद डिग्री कालेज
28. श्री रमेश कुमार चौरसिया, सदस्य, शहर कांग्रेस आई
29. श्री ज्ञान कुमार अजीत, प्रधानाचार्य, भारत स्काउट एण्ड गाइड हायर सेकेण्डरी स्कूल इलाहाबाद।

दिनांक 14 जुलाई, 1981 को जौनपुर के जिलाधिकारी, समाजसेवियों, बुद्धजीवियों, राजनैतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची–

1. श्री ललित श्रीवास्तव, जिलाधिकारी
2. श्री आर0 आर0 उपाध्याय, अतिरिक्त जिलाधिकारी, परियोजना
3. मो0 अहमद खां, सिटी मजिस्ट्रेट
4. श्री कुलदीप नारायन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक
5. श्री नागेश्वर द्विवेदी, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी
6. श्री फकीर हुसैन, अध्यक्ष, बार एसोसियेशन
7. श्री तेज बहादुर सिंह, अध्यक्ष, जिला जनता पार्टी
8. श्री बांके लाल शर्मा, समाजवादी दल
9. श्री शिव बाबू गुप्ता, एडवोकेट, महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी
10. श्री सुल्तान रजा, एडवोकेट, उपाध्यक्ष, लोकदल
11. श्री सैयद इकबाल जौनपुरी, लेखक शिराजे हिन्द रिजवी खां
12. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, हिन्दी भवन, जौनपुर एवं प्रथम प्रधान मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी,
13. श्री रत्नेश कुमार तिवारी, अध्यक्ष, जिला राष्ट्रीय छात्र संगठन
14. डा0 श्रीपाल सिंह, क्षेम अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
15. श्री अजीज रब्बानी, चीफ एडीटर, नई दुनिया साप्ताहिक एवं उपाध्यक्ष, शहर कांग्रेस आई
16. श्री प्रेम बहादुर सिंह, प्रिन्सिपल टी0 डी0 इण्टर कालेज
17. श्री विष्णु दुबे प्रिन्सिपल
18. श्री राजेश कुमार सिंह, टी0 डी0 कालेज
19. श्री चन्द्रेश मिश्र, प्रतिनिधि, आज अखबार, वाराणसी
20. श्रीमती गिरजा तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता
21. श्री राम दास यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष, लोकदल
22. श्री अब्दुल बारी, सामाजिक कार्यकर्ता
23. पं0 रूप नारायण त्रिपाठी, लेखक साहित्यकार एवं पत्रकार
24. श्री जयदेव, सामाजिक कार्यकर्ता

दिनांक 15 जुलाई, 1981 को वाराणसी के जिलाधिकारी, समाजसेवियों, बुद्धजीवियों, राजनैतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची–

1. श्री ए0 पी0 वर्मा, जिलाधिकारी
2. श्री आर0 एन0 श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिलाधिकारी
3. श्री आर0 बी0 श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक नगर
4. श्री राजेन्द्र नाथ मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट
5. श्री अरुण गुप्ता, जन सम्पर्क अधिकारी सूचना
6. श्री बी0 एन0 मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
7. श्री एस0 एस0 मिश्रा, सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक
8. श्री रुद्र नारायण शर्मा, शिक्षा उप निदेशक, पंचम मण्डल
9. श्री प्यारे लाल रोहिला, वाराणसी कांग्रेस कमेटी (आई)
10. श्री कन्हैया लाल बजाज, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस आई
11. श्रीमती सुधा अरोड़ा, संयोजिका, महिला कांग्रेस कमेटी आई
12. श्री रमा शंकर दुबे, प्राध्यापक, हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय
13. श्री लाल जी पाठक, महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी
14. श्री एहतिशाम रजा आब्दी, एडवोकेट
15. श्री चन्द्र शेखर चौरसिया, सदस्य, विधान परिषद्
16. श्री मदन गोपाल वर्मा, कार्यकर्ता कांग्रेस कमेटी आई
17. श्री अलख नारायन, अध्यक्ष, वाराणसी निरंकारी फोरम

दिनांक 16 जुलाई, 1981 को मऊ (आजमगढ़) के जिलाधिकारी, समाजसेवियों, बुद्धजीवियों, राजनैतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची–

1. श्री योगेश दयाल, जिलाधिकारी
2. श्री एस0 के0 निगम, अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन)
3. श्री नन्द किशोर, अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त)
4. माननीय निर्मला रानी कक्कड़, कांग्रेस कार्यकर्ता
5. श्री मुलायम सिंह, यूथ लीडर
6. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, जनता पार्टी
7. श्री तारकेश्वर सिंह, महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी आई
8. श्री शौकत उमर अंसारी, लेक्चरर, पी0 एन0 इण्टर कालेज, गाजीपुर
9. श्री इन्द्र चन्द्र केडियार, प्रेसीडेन्ट, मऊ जयसीज
10. श्री हरिहर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी
11. श्री राम औतार पाण्डेय, महामंत्री जिला कांग्रेस पार्टी (आई)
12. डा0 लखपति लाल, प्राचार्य, डी0 सी0 एस0 के0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय
13. श्री हबीबुल्ला, भूतपूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका, मऊ
14. श्री मंजूर अहमद, न्यूज पेपर एजेण्ट
15. श्री भृगुनाथ, पत्रकार
16. श्री के0 एन0 सिंह, लेक्चरर, टी0 आर0 आई0 कालेज

दिनांक 17 जुलाई, 1981 को गोरखपुर के जिलाधिकारी, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों, राजनैतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची–

1. श्री बी0एम0 बोहरा, जिलाधिकारी
2. श्री महेन्द्र लालका, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
3. श्री पी0सी0 सब्बरवाल, एस0पी0 सिटी
4. श्री राम मोहन जैसवाल
5. श्री प्रो0 आर0एन0 सान्याल, भूतपूर्व सदस्य, विधान परिषद्
6. श्री अयोध्या नाथ चतुर्वेदी, प्रधानाचार्य बी0बी0 इण्टर कालेज
7. श्री हकीम अबुल कलाम सिद्दीकी, अध्यक्ष, सहकारी समिति।
8. डा0 दिनेश मिश्र
9. श्री शीतल पाण्डेय, अध्यक्ष, भूतपूर्व छात्र संगठन
10. श्री तेज बहादुर सिंह, सेक्रेटरी, सोसलिस्ट पार्टी
11. श्री राम रतन सिंह
12. श्री गिरिजेश सिंह, सदस्य, सी0पी0आई0
13. श्री त्रियुगी नारायन, मंत्री, समाज कल्याण समिति, खरैयापोखरा बशारतपुर
14. श्री अष्ट भुजा श्रीवास्तव
15. श्री देवता प्रसाद त्रिपाठी
16. उप प्रधानाचार्य, राजकीय जुबली इण्टर कालेज
17. श्री तेज बहादुर सिंह, महामंत्री सोसलिस्ट पार्टी
18. प्रिन्सिपल, एन0जे0 इण्टर कालेज
19. श्री के0बी0 स्क्सेना, प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी इण्टर कालेज
20. श्री शिवनाथ चतुर्वेदी, प्रधान सम्पादक, सहपन, स्वतंत्र हिन्दी साप्ताहिक मुख्य कार्यालय
21. श्री श्रीकान्त त्रिपाठी, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य
22. श्री गिरधारी लाल अग्रवाल, मंत्री, अपराध निरोधक समिति
23. श्री राम अवध जैसवाल, महामंत्री, उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबन्धक महासभा
24. श्री हाफीज रहमान, महामंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद्
25. श्री दीप चन्द्र श्रीवास्तव, प्रसार व प्रचार मंत्री, राष्ट्रीय एकता परिषद्
26. श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, अभय नन्दन, इण्टर कालेज

दिनांक 19 जुलाई, 1981 को फैजाबाद के जिलाधिकारी, समाजसेवियों, बुद्धजीवियों, राजनैतिक दलों, शिक्षा संस्थाओं तथा छात्र प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची–

1. श्री राजीव कुमार सिंह, जिलाधिकारी
2. श्री कृष्ण दत्त दीक्षित, एस0एस0पी0
3. श्री हरीराम ए0डी0ए0 वित्त
4. श्री नरसिंह नारायण, अध्यक्ष, जिला जनता पार्टी
5. श्रीमती मोहनी, प्रेसीडेन्ट महिला डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी
6. श्री राम त्रिवेदी, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा
7. सैयद नासिर हुसैन, कन्वीनर सिया वक्फ
8. हाजी मुहम्मद कलीम, प्रबन्धक, जामा मस्जिद
9. श्री शहनशाह हुसैन मौलवी

10. श्री मुख्तार अहमद किदवाई, अध्यक्ष, जिला परिषद्, भूतपूर्व सदस्य, विधान परिषद् एवं सदस्य, विधान सभा
11. श्री राम हेत सिंह, प्रतिनिधि माध्यमिक शिक्षा परिषद्
12. श्री दिनेश प्रकाश शुक्ल, एडवोकेट
13. श्री राज बहादुर द्विवेदी, भूतपूर्व सदस्य, विधान परिषद्
14. श्री चिन्ता मणि मिश्र, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी आई
15. श्री सैयद आफताब रजा, एडवोकेट
16. प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज
17. प्रधानाचार्य, पी0डी0 पाण्डेय, इण्टर कालेज
18. श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, महन्थ लाल दास इण्टर कालेज
19. श्री बब्बन सिंह, प्रधानाचार्य, खेमराज स्मारक राष्ट्रीय विद्यापीठ
20. श्री चन्द्र भान सिंह, भूतपूर्व सदस्य, जिला परिषद्,
21. प्रधानाचार्य, आचार्य नरेन्द्र देव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोसाईं गंज
22. प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिठला
23. श्री इन्द्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य सुभाष इण्टर कालेज सरैया
24. श्री नरेन्द्र देव त्रिपाठी, प्रधानाचार्य कामी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टांडा
25. श्री अफजाल अहमद, अध्यक्ष, शहर राष्ट्रीय छात्र संघ
26. श्री देवी प्रसाद सिंह, प्रधानाचार्य, रामबाबा विद्या मंदिर इण्टर कालेज
27. प्राचार्य, आर्य कन्या इण्टर कालेज, टांडा
28. श्री गयास मोहम्मद साबिक, अध्यक्ष, टांडा, नगरपालिका
29. प्रधानाचार्य, सन्त कबीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैरम का पुरा सैदपुर

दिनांक 13 व 31 अगस्त, 1981 को लखनऊ में दिये गये साक्षियों के (नामों सहित) सूची–

1. श्री अकील शाहनी, एडवोकेट, निदेशक, साहनी आर्ट्स फिल्मस् जौनपुर।
2. श्री सिकन्दर रजा, सचिव एवं निदेशक, अवध कल्चरल क्लब, लखनऊ।

Y:48·252·N8t
M2
192343

पी0एस0यू0पी0–एल0 204 वि0 परि0 (676)–1982–300।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

की

संसदीय सद्भाव समिति

का

द्वितीय प्रतिवेदन

निर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा महिलाओं के विषय में

(दिनांक 31 अगस्त, 1982 को सदन में प्रस्तुत किया गया)

विधान परिषद् सचिवालय

उत्तर प्रदेश

1982

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के पदाधिकारी

1--श्री ब्रज भूषण सिंह चौहान, सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

2--श्री प्रताप सिंह, अनुसचिव एवं समिति अधिकारी; विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना

संसदीय सद्भाव समिति का यह दूसरा प्रतिवेदन निर्बल वर्ग विशेषतया अनुसूचित जन जातियों की कठिनाइयों एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये सुझाव देने से संबंधित है। इसके पूर्व समिति ने साम्प्रदायिक सौहार्द के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

जहां तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों की समस्याओं का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–334, 335 तथा 338 में इनके आरक्षण, आर्थिक, सामाजिक उत्थान तथा सुरक्षा व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। जहां तक अनुसूचित जन-जातियों का प्रश्न है, इनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों के सुधार के सम्बन्ध में "भारत के संविधान" में व्यवस्थाओं के होते हुए भी अभी कोई खास परिवर्तन नहीं आया है।

अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में भूमि के सेटलमेंट और गरीबी की प्रमुख समस्या है। उत्तरांचल में 1967 ई० में जहां देहरादून जिले के एक क्षेत्र जौनसार के रहने वालों को जौनसारी नाम से अनुसूचित जन जाति की सूची में रख दिया गया, है वहीं पर वहां के रहने वाले अनुसूचित जातियों की सुविधायें बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। जन जाति की सुविधायें भी कुछ निहित स्वार्थी लोगों को ही मिल पा रही हैं। समिति ने इस सम्बन्ध में अध्ययन करके अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है वह सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

मैं समिति के कार्यों में सहयोग देने के लिये संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने विचारों से समिति को लाभान्वित कराया।

अन्त में मैं विधान परिषद् के सचिव, श्री ब्रज भूषण सिंह चौहान, अनुसचिव एवं समिति अधिकारी श्री प्रताप सिंह तथा अन्य कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयास से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सका है।

माता प्रसाद,

दिनांक 28–8–82

सभापति,

संसदीय सद्भाव समिति।

समिति का गठन

संसदीय सद्भाव समिति के प्रथम प्रतिवेदन में, समिति की आवश्यकता और महत्ता को देखते हुए; परिषद् के सभापति द्वारा समिति के गठन के संबंध में लिखा जा चुका है।

समिति ने अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रथम प्रतिवेदन साम्प्रदायिक सौहार्द के संबंध में दिया था। इस बार समिति ने निर्बल वर्गों, जन जातियों तथा महिलाओं की स्थिति पर प्रतिवेदन देने का निश्चय किया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति ने बांदा (मानिकपुर) मिर्जापुर, (दुद्धी, ओबरा, राबर्टसगंज) देहरादून (जौनसार बावर, लाखा मन्डल) और उत्तरकाशी जिले का दौरा किया। वहां के सरकारी, गैर सरकारी लोगों के साक्ष्य लिए (जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर सलंग्न है) तथा मौके का निरीक्षण भी किया उसके फलस्वरूप यह रिपोर्ट तैयार की जा सकी है।

समिति के सदस्य

माननीय सभापति जी ने समिति के निम्नलिखित सदस्यों को दिनांक 1 जनवरी, 1981 से मनोनीत किया :—

1—श्री माता प्रसाद, सभापति समिति,

2—श्री रेहानरजा खां, सदस्य,

3—श्री निसार अहमद, सदस्य,

4—श्री अब्दुल रशीद; सदस्य,

5—श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, सदस्य,

6—श्री श्यामा प्रसाद प्रदीप, सदस्य

7—श्री विश्राम राय, सदस्य,

8—श्री अब्बास अली, सदस्य,

9—कुमारी सरस्वती अम्माल, सदस्य,

10—कुमारी सत्या सूद, सदस्य,

11—कुमारी दया बहन, सदस्य।

श्री रेहान रजा खां, सदस्य, विधान परिषद् का कार्यकाल दिनांक 10 जनवरी, 1981 को समाप्त हो गया जिसके फलस्वरूप एक स्थान रिक्त हो गया था लेकिन 21 जनवरी, 1981 को श्री रेहान रजा खां, विधान परिषद् के सदस्य, मनोनीत कर दिये गये। माननीय सभापति, विधान परिषद् ने श्री रेहान रजा खां को पुनः समिति का सदस्य, दिनांक 5 फरवरी, 1981 को मनोनीत किया।

कुमारी सरस्वती अम्माल सदस्य, विधान परिषद् तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, सदस्य, विधान परिषद् का कार्यकाल दिनांक 6 मई, 1982 को समाप्त हो गया जिसके फलस्वरूप दो स्थान रिक्त हो गये थे। माननीय उप सभापति (कार्यकारी सभापति) जी ने दिनांक 21 मई, 1982 को श्री राम सजीवन सिंह सदस्य, विधान परिषद् तथा दिनांक 15 जून, 1982 को श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य विधान परिषद् को समिति का सदस्य मनोनीत किया।

प्रतिवेदन

प्रदेश में 5 अनुसूचित जन जातियां मान्य हैं। यह जातियां प्रदेश के उत्तरांचल में निवास करती हैं। प्रदेश के दक्षिणांचल में 13 जन जातियां निवास करतो हैं, जिन्हें भारत सरकार ने अभी तक अनुसूचित जन जाति की मान्यता नहीं दी है। लेकिन राज्य सरकार उनको अनुसूचित जन जाति मानकर सभी सुविधायें दे रही है। जन जातियों की सूची परिशिष्ट "ख" और "ग" में दी गई है।

अनुसूचित जन जातियां ऐसी जातियां हैं जो साधारणतः आधुनिक समाज से अलग-थलग जंगलों और पर्वतों में निवास करती हैं। उनके रहन सहन, रीति रिवाज, वेश-भूषा, खान-पान, बोली–भाषा आधुनिक समाज से भिन्न आधुनिक सभ्यता से यह अछूते हैं। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से यह अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। आधुनिक युग के आगमन के साथ ही इनकी कठिनाइयों में वृद्धि हो रही है। मैदानी क्षेत्रों के लोगों के इनके क्षेत्रों में प्रवेश से इनका शोषण बढ़ रहा है। इनके हित के लिये किये गये कार्यों का वास्तविक लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसलिये इनमें असंतोष बढ़ रहा है।

दक्षिणांचल और उत्तरांचल की जन जातियों की समस्याएं, स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं। इसलिए प्रतिवेदन मुख्यतः दो भागों में विभक्त है।

समिति ने इस विषय के अध्ययन की दिशा में कुल 23 बैठकें की जिनका विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

दक्षिणांचल की जनजातियों का संक्षिप्त विवरण

मिर्जापुर के दक्षिणी आंचल में कोल जाति के अतिरिक्त 12 आदिवासी जातियां है जिनको अभी तक भारत सरकार ने मान्यता नहीं प्रदान की है। प्रदेश सरकार ने विचार करके अप्रैल, 1981 में एक शासनादेश के अन्तर्गत 13 जातियों को भी अनुसूचित जन जातियों जैसी सुविधायें देने का निर्णय किया है। मिर्जापुर जिले की रावर्टसगंज, ददधी' चनार और तेजगढ़ तहसीलों में यह जातियां निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त बांदा जिले के मानिकपुर मऊ और इलाहाबाद के शंकरगढ़ क्षेत्र में भी कोल जाति निवास करती है।

कहा जाता है कि पहले मिर्जापुर के दक्षिणांचल में आदिवासियों का ही राज्य था सारी भूमि तथा वन उपज का वे ही उपभोग करते थे। धीरे-धीरे बाहर से लोग आते गये और यहां की भूमि पर कब्जा करते गये। इनकी जमीने धोखा देकर छीन ली गई। कहीं कर्ज देकर, कहीं शराब पिलाकर, उनसे अंगूठा निशान लगवा लिया गया और धीरे-धीरे यह भूमिहीन होते गये। कहीं इनकी जमीन पर लोगों ने वर्ग–4 दर्ज कराकर उस पर कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र में बहुत से भाग पर भूमि सेटलमेंट भी नहीं हुआ है, जिसके कारण प्रभावशाली लोगों ने सारी जमीन पर मालिकाना कब्जा कर रखा है।

रावर्टसगंज और दुद्धी तहसील में अभी तक भूमि का कोई रिकार्ड नहीं है। कुछ समय पूर्व मैप के आधार पर रिकार्ड आपरेशन करने की कोशिश की गई, किन्तु मौके पर बहुत अन्तर मिला। इसलिये 1372 फसली को आधार मानकर यहां पर भूमि अभिलेखों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि तहसीलों में कोई प्रमाणिक अभिलेख नहीं था और मैप के आधार पर ही रिकार्ड आपरेशन किया गया था इसलिये उसमें बहुत गलतियां थी। इसी रिकार्ड को आधार मानकर बन विभाग ने गांव समाज की जमीन जो बंजर, परती दर्ज थी, उसे बन विभाग की जमीन मान लिया। जब कि वास्तव में मौके पर, उस स्थान पर आदिवासी खेती करते थे उनका मकान

बना हुआ था। किन्तु बन विभाग ने भी रिकार्ड आपरेशन के आधार पर ही फारेस्ट सेटलमेंट ऐक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत उस जमीन को नोटिफाइड कर दिया और उसी आधार पर धारा 20 के अन्तर्गत उस भूमि को बन विभाग की भूमि मान लिया। ऐसा करने से बहुत से आदिवासियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब बन विभाग उस भूमि पर कब्जा करना चाहता है।

इस क्षेत्र में 2 बड़े प्रोजेक्ट एन0 टी0 पी0 सी0 और "अनपरा" चल रहे हैं, जिनमें करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं किन्तु यहां के आदिवासियों को इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसमें इनको काम नहीं मिलता है। जिन आदिवासियों की भूमि इन योजनाओं में ली गयी है, उन्हें भी कभी इनमें काम नहीं मिला। जबकि प्रदेश के बाहर के बहुत से लोगों को यहां पर काम दिया गया है इसलिये यहां के आदिवासियों में इससे बड़ा असन्तोष है।

दुद्धी में जो आई0 टी0 आई0 है, उसकी इमारत अपर्याप्त है और जो ट्रेड उसमें हैं ,उनके उपकरण नहीं हैं। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों का इसमें आरक्षण न होने के कारण इसका भी कोई उपयोग इनके लिये नहीं है। यहां पर एक आश्रम पद्धति विद्यालय है, उसकी इमारत भी जर-जर अवस्था में है। यहां के लड़कों को खाने और नाश्ते के लिये मात्र रुपये 55 प्रतिमाह दिया जाता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से इनमेंइन बच्चों का पालन पोषण हो सकता होगा। जो बच्चे उक्त विद्यालय में मिले वे सभी अपोषण के शिकार थे।

यह लोग आदतन शराब बनाते हैं, उसे पीते हैं और अपने देवी देवताओं को भी अर्पित करते हैं। यहां गरीबी इतनी है कि महुआ बीन कर खाते हैं। यहां तेंदू पत्ती तोड़ने का काम ठेकेदार कराते हैं। जिला मुख्यालय लगभग डेढ़, दो सौ किलोमीटर दूर है इस वजह से आदिवासी अपनी शिकायतों को कहने के लिये इतनी दूर किराया भाड़ा खर्च करके नहीं जा सकता और अगर वह पैदल जाता है तो कई दिन लग जाते हैं। इस लिये उनके ऊपर जो परेशानियां आती भी हैं, उनको वह नहीं कह पाते हैं।

दक्षिणांचल की आदिवासी जातियों के संबंध में समिति निम्न संस्तुति करती है :--

भूमि सुधार तथा भूमि सेटलमेंट

1--अनुसूचित जन जातियों को जहां पर भूमि आवंटित की गई है, मौके पर उसका कब्जा दिया जाय। यथासंभव सभी भूमि आवंटियों को एक ही स्थान पर भूमि दी जाय। जिससे वहां पर सिंचाई तथा कृषि की अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके।

2--मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज तथा दुद्धी तहसीलों का रिकार्ड आपरेशन 1372 फसली को आधार मानकर शीघ्र कराया जाय।

3--फारेस्ट सेटलमेंन्ट की धारा 4 के अन्तर्गत जिन आदिवासियों द्वारा जोती गई जमीन और आबादी को नोटीफाई कर उक्त ऐक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत बन विभाग की भूमि मान लिया गया है, उसका मौके पर निरीक्षण करके जिन स्थानों पर आदिवासियों की आबादी मौजूद है और जिस जमीन पर आदिवासी का बहुत दिनों से कब्जा चला आ रहा है, उस जमीन को बन विभाग से निकाल कर आदिवासयों के नाम सेटलमेंन्ट कर दिया जाना चाहिये।

4--जिन आदिवासियों की जमीन पर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका मुआवजा देने के साथ ही इन प्रोजेक्टस में आदिवासियों के बच्चों को नौकरी दी जानी चाहिये।

5--जिन आदिवासियों की भूमि किसी सरकारी काम के लिये ली जाय यथासम्भव उसके बदले में इनको दूसरी भूमि अन्यत्र देने पर विचार किया जाय।

6--जिस भूमि को आदिवासी बहुत दिनों से जोतते चले आ रहे हैं, उस भूमि को अभिलेखों में आदिवासियों के नाम इंदराज किया जाना चाहिये।

7—वर्ग–4 की जिस जमीन पर आदिवासी काबिज हैं उनका अभिलेख में इन्दराज किया जाय।

8—जिन आदिवासियों की भूमि धोखा देकर निशान अंगूठा लगाकर छीन ली गई है, उस भूमि को पुनः उन आदिवासियों को दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

9—भूमि आवंटन में मौके पर अकृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य कह कर आवंटित कर दिया गया है। ऐसी अकृषि योग्य भूमि के बदले में कृषि योग्य भूमि अन्यत्र इनको दी जानी चाहिये।

10—फारेस्ट सेटलमेन्ट एक्ट की धारा–4 के अन्तर्गत जो भूमि नोटिफाई हो चुकी है, किन्तु उक्त ऐक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत उक्त भूमि अभी वन विभाग में सम्मिलित नहीं हुई है, उक्त भूमि को गांव समाज की भूमि मानकर कब्जे के आधार पर नियमानुसार उसका स्वामित्व प्रदान किया जाय।

आर्थिक उत्थान

1—बरगढ़ सिलाका सेन्डकी फैक्ट्री लगाने पर विचार किया जाना चाहिये।

2—तेन्दू पत्ती तोड़ने का काम ठेकेदारी पर न कराया जाय।

3—अनपरा और एन0 टी0 पी0 सी0 योजनाओं में कार्य करने का अवसर देने के लिये पढ़े लिखे आदिवासी युवकों को ओबरा में ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित कर इन योजनाओं में काम दिया जाय।

4—जो लेबर क्लास के अनपढ़ लोग हैं उनको मिर्जापुर क्षेत्र में चलने वाली योजनाओं में काम करने का मौका दिया जाय।

5—इन क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग खोले जायं। प्लेन्टी, वाक्साइड बांस, तेन्दू, गोंद पर आधारित उद्योगों को लगाने पर विचार किया जाना चाहिये। वगही घास से रस्सी बनाने का उद्योग लगाया जाय।

प्रशासनिक

1—अनुसूचित जनजाति विकास निगम या इनकी सहकारी समिति के द्वारा ही मानिकपुर क्षेत्र तथा मिर्जापुर जिले में तेन्दू पत्ती तोड़ने और उसे बेचने का काम किया जाना चाहिये।

2—बांदा, धार कुन्डी के पास, बरगड़ और मानिकपुर में अनुसूचित जनजाति विकास निगम की ओर से आदिवासियों द्वारा सूखी लकड़ी खरीदकर गोदाम बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे आदिवासियों को सिर या ट्रेन द्वारा बहुत दूर तक लकड़ी लाद कर ले जाने से राहत मिलेगी और उन्हें लकड़ी का उचित दाम भी मिलेगा।

3—सूखी लकड़ी तोड़कर बनवासियों को बेचने की अनुमति दी जानी चाहिये।

4—जनजातियों को मकान बनाने के लिये बन विभाग द्वारा लकड़ी देने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

5—सतगुरु सेवा आश्रम द्वारा संचालित गोधन विकास निगम द्वारा मजदूरों की बकाया मजदूरी दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

6—उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जातियों की 5 मान्य जातियों के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में रहनेवाली 13 अन्य अनुसूचित जन जातियों को जन जाति की सूची में विधिवत् सम्मिलित करने की व्यवस्था भारत सरकार से कराये।

7—दुद्धी आई0 टी0 आई0 में इस क्षेत्र के तथा अनुसूचित जनजाति के लिये कम से कम 25 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायें।

8—दुद्धी आई0 टी0 आई0 इमारत की व्यवस्था की जाय तथा जिन विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके लिये पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था की जाय।

9—दुद्धी में कान्हर योजना तथा सोन की लिफ्ट योजना शीघ्र चालू की जाय।

10—कैमूर रेंज के आदिवासियों को भी पर्वतीय विकास निगम द्वारा जो सुविधायें दी जाती हैं वही सुविधायें यहां के लोगों को भी दी जानी चाहिए।

11—दुद्धी डिग्री कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बनाने पर विचार किया जाना चाहिये।

12—म्योरपुर बभनी दुद्धी चोपन को ट्राइबल ब्लाक बनाया जाय।

13—तालाब और बंधियों का निर्माण सिंचाई के लिये कराया जाय।

14—सम्पर्क मार्गों को बनवाकर पक्का कराया जाय।

15—सरना नदी पर कोलिनडुवा का पुल बनना चाहिये।

16—दुद्धी में हीराचक के पास एक पुल बनाया जाय।

17—इस क्षेत्र की समस्यायें हल करने के लिए सरकार किसी कमीशन की नियुक्ति पर विचार करे।

18—मानिकपुर क्षेत्र में पीने के पानी के लिये रिंग राक कटर मशीनों द्वारा गहराई तक बोरिंग करके हैण्ड पम्प लगवाये जायें।

19—बड़े अधिकारियों के क्षेत्र में जाने पर उनका खूब प्रचार रहे जिससे आदिवासी अपनी शिकायतें उनके सामने रख सकें।

20—इलाहाबाद बैंक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को ऋण कठिनाई से देता है। इस पर ध्यान देकर ऋण दिलाया जाय।

21—जंगलों में पेड़ काटने के लिए ठेके की 30 प्रतिशत धन की शर्त हटाकर 10 प्रतिशत कर दी जाय जिससे केवल बड़े ठेकेदारों को ही काम न मिले।

22—सड़कों पर बसों के चलाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये।

23—यहां के थानों पर जीपों की व्यवस्था अवश्य रहनी चाहिये।

24—आश्रम पद्धति विद्यालय दुद्धी में प्रति बालक खाने, नाश्ते, कपड़े, साबुन के लिए रुपये 55 मासिक अपर्याप्त है, इसे रुपये 150 किया जाय।

25—मिर्जापुर क्षेत्र में भी जनजाति विकास निगम की स्थापना की जाय और उसमें कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त व्यवस्था की जाय।

26—भौगोलिक दृष्टि से मिर्जापुर जिले को 2 भागों में बांटा जाय क्योंकि इस समय जिले के मुख्यालय से जनपद की तहसीलों की दूरी 150 कि0 मी0 तक है जिस कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवागमन में जनता को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है।

अन्य सुझाव

1—आदिवासियों को पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा के लिए रिंग राक कटर मशीनों की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। कुछ दिनों पूर्व इस क्षेत्र में सूखा पड़ा था तब मध्य प्रदेश से गहराई तक हैण्डपम्प लगाने के लिए मशीनें मंगाई गई थीं। ऐसी 4″ × 4″ की बन बोरिंग वाली मशीनों की व्यवस्था स्थायी रूप से सरकार स्वयं करे।

2—कम से कम 10 आश्रम पद्धति विद्यालय मानिकपुर क्षेत्र में और खोले जायं।

3—मानिकपुर आश्रम पद्धति विद्यालय को इन्टरमीडिएट किया जाय।

4—सरकारी अनुदानों पर आश्रित रहने की आदत छोड़ने को प्रोत्साहित किया जाय।

5—आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन का शराब एक आवश्यक अंग है। इसलिये शराब बन्दी करते समय इस पर भी ध्यान रखना चाहिये। क्योंकि शराब बन्द होने पर भी वे शराब बनाकर अवश्य पीते हैं।

उत्तरांचल की जनजातियों की संक्षिप्त स्थिति

देरादून की चकराता तहसील में जोनसार बावर परगना है। यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। टोंस नदी इस परगने की उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा बनाती है। जौनसार बाबर का कुछ क्षेत्र टोंस के दूसरे किनारे पर स्थित है। उत्तरकाशी जिले का रवाई क्षेत्र तथा टिहरी गढ़वाल जिले का जौनपुर क्षेत्र जौनसार बाबर क्षेत्र से मिला होने के कारण इनकी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति समान ही है।

जौनसार बाबर तथा रवाई के क्षेत्र के लोग हिन्दू मतावलम्बी हैं तथा वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं। समाज ब्राह्मण खास (राजपूत) और शूद्रों में विभक्त है। इस समस्त क्षेत्रों में बहुपति प्रथा प्रचलित है, विवाह अधिकांशतः बड़े भाई के साथ सम्पन्न किया जाता है शेष भाई स्वतः ही उसके पति हो जाते हैं। बच्चे सभी भाइयों के समझे जाते हैं। बहुपति प्रथा के साथ साथ बहु पत्नी प्रथा भी प्रचलित है।

विवाह में लड़की का पिता लड़की लेकर अपने सम्बन्धियों के साथ, वर के घर जाता है। सभी जातियों में छूआ की प्रथा है। जौनसार बाबर के निवासी अपने को पांडवों की संतान कहते हैं। रवाई क्षेत्र के कुछ भाग के निवासी कौरवों की पूजा करते हैं। इस क्षेत्र में ब्राह्मण क्षत्रियों में आपस में विवाह संबंध होता है। खान पान में भी यह लोग कोई विशेष भेद-भाव नहीं करते हैं। डोम कोल्टा, चमार, कोली, बाजगी, लुहार, कुम्हार, सुनार, बढ़ई अछूत समझे जाते हैं। इन अछूतों में भी आपस में छुआछूत है। मंदिरों में बाजगी व नाथ को छोड़कर सभी का मन्दिर प्रवेश वर्जित है। कोल्टा जाति अछूत होने के साथ ही गरीब है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में इनको नहीं रखा गया है।

बाजगी मेले ठेले, धार्मिक या सामाजिक उत्सवों में नाचने गाने का काम करते हैं। यह लोग सूर्योदय के पूर्व और रात्रि में सोने के समय पर बाजा बजाकर गांव वालों को सूचित करते हैं। गांव के प्रभावशाली लोगों के यहां मेले या उत्सवों में बाजगियों को स्त्रियों को नाचना पड़ता है। गांव में मेले या उत्सवों में विशिष्ट लोगों के आने पर भी इनसे बाजा बजवाकर स्वागत कराया जाता है।

अधिकांश घर दो या तीन मंजिल के होते हैं। ऊपर की मंजिल में चूल्हा होता है। नीचे की मंजिल में पशु और चारा रखा जाता है। सबसे नीचे कोल्टा रहते हैं। इनको ऊपरी मंजिल से फेंक कर रोटी दी जाती है। अस्पृश्यता या दासता का पूरा रूप वहां है। स्थान के अभाव में एक ही कमरे में कोल्टा का पूरा परिवार रहता है। बहुपति या बहुपत्नी प्रथा के कारण यौन रोगों की अधिकता होती है। परिवार के यदि एक व्यक्ति को कोई रोग हुआ तो पूरे परिवार को वह रोग हो जाता है। बहुत थोड़े से कोल्टा भूमि के मालिक हैं जो थोड़ी सी भूमि इनके पास है भी उस पर वह निर्भर नहीं रह सकते। सदियों से प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के कारण वे हीन भावनाओं से पीड़ित हैं।

जौनसार बाबर की एक तिहाई भूमि का ही बन्दोबस्त किया गया है। दो तिहाई भूमि का बन्दोबस्त न होने से गांव के सयाने तथा प्रभावशाली लोगों ने उस पर जबरन कब्जा कर रखा है और इस भूमि को उन्होंने आपस में ही बांट लिया है। कानूनन यह भूमि सरकार की है किन्तु उसका उपयोग वे ही लोग करते हैं। यदि कभी भूमि आवंटन के नाम पर ऐसी भूमि आवंटित भी की जाती

है तो इसके लिए एस0डी0एम0 स्वयं नया नम्बर और रकबा बनाकर नक्शे पर चढ़ा देते हैं किन्तु बिना सेटलमेंट के इसका कोई कानूनी औचित्य नहीं होता है। कुछ सयानों ने आपस में मीटिंग करके सरकार से मांग की है कि यह भूमि जिस पर वे काबिज हैं उनकी मिल्कियत है। इसलिए यदि दूसरे को भूमि आवंटित की जाती है तो इसका मुआवजा इनको दिया जाना चाहिये।

साहूकार तथा कुछ स्थानों पर सयाने तथा अन्य तथाकथित प्रतिष्ठित लोग आर्थिक लालच देकर कोल्टा तथा अन्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपनी महिलाओं व लड़कियों को वेश्या-वृत्ति में लगाये जाने को प्रोत्साहित करते हैं। वे इस कार्य के लिये उनको ऋण भी प्रदान करते हैं। इन लोगों की ऋण ग्रस्तता वैश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराई को व्यापक रूप दे रही है।

जौनसार बावर में 1981 की जन गणना के अनुसार लगभग 16,000 अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या थी। 1967 में जौनसार बावर को अनुसूचित जन जाति क्षेत्र घोषित कर दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त जाति के लोग अनुसूचित जन जाति की सूची में आ गये। यहां तक कि अनुसूचित जाति के जिन लोगों की जनसंख्या 1961 में 16,000 थी वह 1971 की जनगणना में बिल्कुल समाप्त कर इनको भी अनुसूचित जनजाति बना दिया गया।

प्रदेश सरकार की अनुसूचित जनजातियों की सूची में जौनसारी जाति रख दी गई है। इस प्रकार जौनसार में रहने वाले समस्त लोग जन जाति मान लिये गये। पूरे जौनसार क्षेत्र के रहने वालों को जनजाति की सुविधा मिलने के कारण उत्तरकाशी अलमोड़ा तथा अन्य भागों में भी जन जाति क्षेत्र बनाने के लिये सरकार पर दवाव डाला जा रहा है। क्षेत्र के नाम पर वहां रहने वाली सारी जातियों को जन जाति की सूची में रख देने पर जहां यहां के सभी निवासी जन जाति की सुविधा के पात्र हो गये है वहीं अनुसूचित जाति के लोगों की 18 प्रतिशत आरक्षण की सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। जन जातियों के नाम पर जिनको सुविधाएं मिल रही है, उनका लाभ भी कुछ प्रभावशाली लोग उनके सम्बन्धी और उनके चहेते ही ले रहे हैं।

इस क्षेत्र में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, गढ़वाल जन जाति निगम देहरादून मुक्त बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास करने सम्बन्धी प्राधिकरण, पर्वतीय विकास विभाग, समन्वित ग्राम विकास (आई0 आर0 डी0) आदि योजनाएं चलाने जा रही हैं। इन सभी का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा निर्बल वर्ग के लोगों का उत्थान करना है। किन्तु कुछ चतुर लोग ही इनकी सुविधाएं उठा लेते हैं।

जन जाति विकास निगम, देहरादून, ट्राइबल अथारटी के 6 ब्लाकों का मुख्यालय और बन्धुआ मजदूरों को मुक्त करने तथा पुनर्वास संबंधी प्राधिकरण के मुख्यालय देहरादून शहर में स्थित है। यहां के कार्यालयों से साधारण आदमी सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकता है, इसलिये इन एजेंसियों से लाभ उठाने के लिये साधारण अनुसूचित जाति, जन जाति या बन्धुआ मजदूरों को अपने साथ 3-4 सयानों को साथ लेकर आना पड़ता है। उन गरीबों का किराया तथा महंगे होटलों का कई दिनों का व्यय पहले सयाने लोग ही उठाते हैं और जब उनको रुपया ऋण या अनुदान के रूप में मिलता है तो उसका अधिकांश भाग इन बिचौलियों तथा सरकारी कर्मचारियों की जेब में चला जाता है। इस तरह वे कर्जदार ही बने रहते हैं और मुक्त बन्धुआ मजदूर फिर बन्धुआ मजदूर बनने को विवश हो जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति व्यक्तियों को इनका विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है।

1—उत्तरकाशी जनपद में अनुसूचि जाति में मुख्यत: शिल्पकार बाजगी, कोली, चमार आदि जातियां आती हैं तथा अनुसूचित जनजाति में भोटिया जाति के व्यक्ति हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'जड़ा भी कहते हैं। उत्तरकाशी जनपद में पिछड़ी जातियों में गुसाईं, जोगी, पिछड़े मुसलमान एवं सोनार जाति के व्यक्ति आते हैं।

अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है इस समुदाय के व्यक्तियों के लिये विकास कार्यक्रम त्वरित गति से चलाये गये । विकास कार्यक्रमोंके कार्यान्वियन हेतु उत्तरकाशी जनपद को 6 विकास खण्डों में बांटा गया जिसमें से 3 विकास खंड नौगांव, पुरोला एवं मोरी जनजाति विकास खण्ड माने गये हैं । उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों की मांग है कि उन्हें जोनसार बावर क्षेत्र के समान सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सुविधा हेतु संविधान में संशोधन करके अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाय ।

उत्तरकाशी जनपद में गरीब एवं पिछड़े समुदाय के विकास के लिये समन्वित ग्राम विकास योजना, पर्वतीय क्षेत्रीय विकास योजना, अन्त्योदय, विशेष समान्वित योजना, निर्बल वर्ग आवास योजना, हरिजन पेयजल एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आदि जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं किन्तु इन कार्यक्रमों में सीधे महिलाओं के लाभान्वयन का प्रतिशत कम है । इन योजनाओं के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा देकर विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक कार्यक्रम दिये जाते हैं । इन कार्यक्रमों में मुख्यतया कृषि पशु-पालन, बागबानी, भूमि सुधार, लघु सिंचाई एवं कुटीर उद्योग आदि अनेक कार्यक्रम लिये गये हैं । ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत बेरोजगार नवयुवक एवं महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने की योजना है लेकिन इनका बहुत कम लाभ इन्हें मिल रहा है ।

उत्तरांचल की जन जातियों के सम्बन्ध में समिति निम्न संस्तुति करती है :

भूमि सुधार संबंधी

1—देहरादून जिले की चकराता तहसील की केवल 1/3 भूमि का ही सेटलमेंट किया गया है । शेष 2/3 भूमि का सेटलमेन्ट न होने से उस पर नाजायज ढंग से सयाने या जबरदस्त लोगों का कब्जा हो गया है । उन्होंने आपस में समझौता द्वारा इस भूमि को बांट रखा है, इसलिये इस भूमि का शीघ्र ही सर्वे कराकर इसका बन्दोबस्त बनाया जाय । इस भूमि को गरीबों, अनुसूचित जातियों, जन-जातियों शिल्पकारों, भूमिहीन खेतिहर और मुक्त बंधुआ मजदूरों में वितरित की जाय ।

2—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवंटित भूमि का मौके पर कब्जा दिया जाय । आवंटन में जो अकृषि योग्य भूमि मिली हुई है उसके बदले में उन्हें कृषि योग्य भूमि एलाट की जाय । यथा सम्भव उन लोगों को एक ही स्थान पर भूमि आवंटित की जाय ।

3—वन विभाग कृषि योग्य भूमि को अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति में आसामी पट्टे पर आवंटित की जाय ।

4—जिन अनुसूचित जन जातियों की आवंटित भूमि को छीन लिया गया है उसकी छानबीन करके भूमि छीनने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय और पुनः उनको वह भूमि प्रदान की जाय । नाजायज कब्जों का कोई सरकारी नम्बर नहीं है इसलिये कानूनी ढंग से नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होने में असुविधा होती है, इसलिये इस भूमि का शीघ्र ही सर्वेक्षण कराने की व्यवस्था की जाय ।

आर्थिक

1—इस क्षेत्र में लीसा (रेजिंग) काफी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिये इस पर आधारित तारपीन तेल उद्योग, स्थापित किये जायं इसी तरह उपलब्ध पत्थर से चूने का उद्योग लकड़ी से दिया-सलाई, फर्नीचर, कागज कार्ड बोर्ड उद्योग, जड़ी-बूटियों से औषधि बनाने का उद्योग, फल यूटीलाइ-जेशन के कारखाने खोलने पर विचार किया जाय ।

2—उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं के मार्केटिंग की सुविधायें वहीं पर उपलब्ध कराई जायें । उद्योगों के लिये सरकार कच्चे माल की व्यवस्था मौके पर उपलब्ध कराने और उत्पादित माल को स्वयं खरीदें । तभी इस क्षेत्र में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।

3—उद्योगों के लिये जहां पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय, वहीं पर उत्पादन केन्द्र भी खोलने की सुविधा दी जाय।

4—आर्थिक उत्थान के लिये कर्ज या अनुदान बन्द किया जाय, और इसके बदले जीवन यापन के साधन दिये जायें।

5—जिस कार्य को यह लोग जानते हों, उसी कार्य के लिये इनको सहायता प्रदान की जाय। जिस कार्य को नहीं जानते हैं, उसके लिये अनुदान देकर धन की बरबादी न की जाय।

6—कुछ निहित स्वार्थ वाले गिने-चुने लोग ही यहां पर ठेकेदार हैं, उन्हीं के पास भूमि है, उन्हीं के घर वाले सरकारी कर्मचारी हैं और वही लोग दूसरों को सुविधा दिलाने में अपना हिस्सा लेकर इनका शोषण करते हैं। इसलिये ऐसे निहित स्वार्थ वालों से वहां की गरीब अनुसूचित जन जातियों की रक्षा की जाय।

प्रशासनिक सुधार

1—जौनसारी वाइड टर्म है। जौनसारी अनुसूचित जन जाति घोषित करने से जिन गरीबों को लाभ मिलना चाहिये था उनको इसका तनिक लाभ नहीं मिला। यहां के निवास करने वाले कुछ उच्च वर्ग के लोगों को ही इन सुविधाओं का लाभ अवश्य मिला और वह ऊंची जगह पहुंच गये। जौनसार के रहने वाले समस्त लोगों को जन जाति की सुविधायें दे देने पर उत्तरांचल के अन्य भागों से भी अपने क्षेत्र के नाम से जन जाति घोषित करने की मांग बढ़ती जा रही है। देश में कहीं भी क्षेत्र के नाम पर जनजाति का नाम नहीं घोषित किया गया है, किन्तु यहां पर जौनसारी के नाम पर सारे जौनसार के लोगों को जनजाति घोषित कर दिया गया है। इसलिये अनुसूचित जनजाति की सूची से जौनसारी तत्काल समाप्त किया जाय। इसके बदले में उस क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों को नये सिरे से परिभाषित करके उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति में रखा जाय।

2—जौनसार बावर क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जाति को भी अनुसूचित जनजाति मान लिया गया है, इससे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है क्योंकि अनुसूचित जाति के रहने पर उन्हें अधिक सुविधायें मिलती, इसलिये अनुसूचित जाति की गणना कराकर उनको अनुसूचित जाति की समस्त सुविधायें प्रदान की जायं।

3—यहां की सबसे गरीब उपेक्षित जाति, कोल्टा है, किन्तु इन के नाम न तो अनुसूचित जाति में है और न अनुसूचित जन जाति में। इसलिए कोल्टा जाति को अनुसूचित जाति में तत्काल सम्मिलित करने की संस्तुति की जाती है।

4—गढ़वाल अनुसूचित जन जाति निगम, पर्वतीय विकास विभाग हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने वाला प्राधिकरण, आई0 आर0 डी0 स्कीम संबंधी एजेंसियां, निर्बल वर्गों, गरीबों और अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए काम करने के लिए ही बनाई गई है, किन्तु सभी एजेंसियां अपना अलग अलग कार्य करती हैं, इसलिए कही कहीं कुछ होशियार लोग सभी एजेंसियों से लाभ उठाते हैं। और बहुत से जरूरतमन्द लोगों को सहायता नहीं मिल पाती है। इसलिये इन सभी एजेंसियों को जिला/ब्लाक स्तर पर आपस में समन्वय करना चाहिए।

5—उक्त योजनाओं को चलाने का जहां तक सम्बन्ध है वह कमिश्नर की देख-रेख में उक्त एजेंसियों का सारा बजट एक जगह संकलित करके, उक्त सभी एजेंसियों को, हर विभाग से प्राप्त धन के प्रतिशत के हिसाब से धन का एलाटमेन्ट किया जाय। और ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे एक जगह पर एक ही एजेन्सी अपना कार्य करे और उसका उचित रूप से सुपरविजन किया जा सके।

6—ट्राइबल्स अथारिटी के 6 ब्लाक, बंधुवा मजदूरों की मुक्ति के 7 ब्लाक जिन की सूची परिशिष्ट "ङ" में दी गई है। अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का हेड क्वाटर देहरादून शहर में है (जिनकी सूची परिशिष्ट 'च' पर है) इसलिये लाभार्थियों को कई सौ किलोमीटर चलकर अपने साथ बिचौलियों को लेकर देहरादून आना पड़ता है, जिससे बिचौलियों ही पहले सारा धन खर्च करता है। कई दिनों तक महंगे होटलों में रहते हैं और जब उनको ऋण या अनुदान मिलता है तो उसका बहुत सा अंश बिचौलिए ही खा जाते हैं, इसलिए इनका हेड क्वाटर देहरादून से हटाकर जिलों में कर दिया जाय और जिन ब्लाकों में यह योजनाएं चल रही हैं वहां बी0 डी0 ओ0 के माध्यम से इनका संचालन किया जाय।

7—अनुदान के रूप में गरीबों को जो भैंस या खच्चर दूसरे प्रदेशों से लाकर दिया जाता है वह यहां की जलवायु के अनुकूल नहीं होता है। इसलिये वह यहां मर जाते हैं या यहां के लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्थानीय पशुओं को खरीद कर ही इनको उपलब्ध कराया जाय।

8—यहां के निवासियों को खेती उपयुक्त बीज खाद कीटनाशक दवाई उपलब्ध कराई जाय।

9—इस क्षेत्र की अनुसूचित जन जाति के नाम पर को-आपरेटिव से कर्ज दूसरे लोगों ने लिया है, इसकी जांच कराई जाय। जिन लोगों ने कर्ज नहीं लिया है, उनका कर्ज माफ किया जाय।

10—अनुसूचित जाति, जनजातियों को उद्योग के लिए बैंकों से ऋण दिलाते समय 5 हजार रुपये तक ऋण लेने पर जमानत से मुक्त रखा जाय, अच्छा हो इनकी जमानत की जिम्मेदारी सरकार स्वयं उठाये।

11—अनुसूचित जन जाति वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति का आरक्षण कायम रखते हुए अनुसूचित जन जाति की सुविधा दी जानी चाहिए।

बंधुआ मजदूर

बंधुवा मजदूर एक तरह का गुलाम होता है। जिनकी मजदूरी का लाभ उठाकर कुछ लोग इनका कई पुश्तों से शोषण करते आये हैं। भारत सरकार द्वारा कानून बंधुवा मुक्ति अधिनियम बनाने के बाद कुल 8055 बंधुवा मजदूर आईडेन्टीफाई किये जा सके हैं। इनमें 3391 देहरादून जिले के चकराता ब्लाक में, 1382 टेहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में और 3281 उत्तरकाशी जिले में है। अभी कुछ बंधुवा मजदूर आईडेन्टीफाई होना बाकी है, किन्तु बहुत से बंधुवा मजदूर इतने विवश हैं कि वह अपने को बंधुवा मजदूर कह सकने में असमर्थ हैं और सरकार जब तक वह अपनी बंधुवा मजदूरों की मुसीबतों से अवगत न कराये उन्हें मुक्त करने की कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती है।

इनके कल्याण के लिये सेन्ट्रली स्पोंडर्स स्कीम है, जिसनें 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार और 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार देती है। एक परिवार को 4 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है। इसका मुख्यालय देहरादून शहर में है, इस संबंध में समिति निम्न संस्तुति करती है :—

1—मुक्त बंधुवा मजदूरों के कल्याण संबंधी प्राधिकरण का मुख्यालय देहरादून से हटा कर, संबंधित जिलों में जिलाधिकारियों की देख-रेख में रखा जाय।

2—बंधुवा मजदूरों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख के लिये गैर सरकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं की समिति का गठन किया जाय।

3—मुक्त बंधुवा मजदूरों का यदि इनके पूर्व के स्थान पर ही रहने दिया गया तो उन्हें पुनः बंधुवा मजदूर होने को विवश कर दिया जाता है और उनको मिलने वाले सारे अनुदान या ऋण को उनका शोषण करने वाले स्वयं ही खा जाते हैं, इसलिये इन सभी मजदूरों को तराई के इलाके या अन्यत्र कहीं एक जगह बसाया जाय और उनके लिये रोजगार की व्यवस्था की जाय।

4—बंधुवा मजदूरों को ऋण या अनुदान देने के बदले एक जगह जमीन खरीदकर बसाया जाय और उन्हें खेती करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाय।

5—बंधुवा मजदूरों को पत्थर तोड़ने, मिट्टी तोड़ने, बांध बनाने तथा परिश्रम संबंधी काम में लगाया जाय।

6—अनुदान या ऋण देना बन्द किया जाय। इसके बदले उनको जीवन यापन के स्थाई साधन दिये जायं। क्योंकि एक अनुदान के खत्म होते ही यह दूसरा अनुदान पाने का इंतजार करने लगते हैं। यदि इनको अनुदान नहीं मिलता है तो वह पुनः बंधुवा मजदूर हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर प्रदान किया जाय।

7—उत्तरकाशी जिले में 1200 बंधुवा मजदूरों से जिन्हें ऋण या अनुदान की धनराशि मिली थी उनमें प्रत्येक से लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम पर रुपये 80, ग्राम संघ के नाम पर रुपये 20 और 200 खाद बीज के नाम पर काट लिये गये, इसकी जांच कराई जाय कि इस काटे गये धन का किस प्रकार से उपयोग किया गया है इसका पता लगाया जाय, और यदि इसका दुरुपयोग किया गया है तो संबंधी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

8—बंधुवा मजदूरों को बन रोपण का कार्य और उसकी देख-रेख में लगाया जा सकता है।

महिलाओं के सम्बन्ध में

1—यहां पर महिलाओं की स्थिति अत्यन्त सोचनीय है। कृषि, पशुपालन, गृह कार्य, घास लाने, लकड़ी काटने, एवं घर के सभी कार्य का बोझ महिलाओं के ही ऊपर है। इस क्षेत्र में परम्परा से ही महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक शोषण किया गया है। जिसका मुख्य कारण गरीबी, बंधुवा मजदूर प्रथा एवं शिक्षा की कमी है। महिलाओं में इस शोषण के कारण उन्हें रति रोग, कुष्ठ रोग एवं टी0 बी0, जैसी अनेक प्रकार की घातक बीमारियां पायी जाती हैं।

2—पहाड़ों की अर्थ-व्यवस्था में मुख्य आधार महिलायें हैं वह सुबह उठने से शाम सोने तक पानी देना, जंगल से लकड़ी, घास लाने, भोजन बनाने के सभी काम केवल हल जोतने को छोड़कर करती हैं। सम्भवतः बहुपत्नी प्रथा का यही मुख्य कारण है। वेश्यावृत्ति यहां की अज्ञानता, गरीबी, पिछड़ापन स्वास्थ्य के बुरी दशाओं और जीवन-निर्वाह की मजबूरी के कारण है। इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति का सुधार ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। अतः आर्थिक रूप से उन्हें स्वावलम्बी बनाने पर विचार करना चाहिए।

3—लड़कियों के लिये कक्षा 8 तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिसके अभिभावक बहुत गरीब हैं, उनके अभिभावकों को शिक्षा के बदले कुछ आर्थिक सहायता हर महीने दिया जाना चाहिए।

4—आश्रम पद्धति स्कूल खोले जायं जिसमें अनुसूचित जन जातियों की लड़कियों के खाने-पीने और कपड़े के अतिरिक्त उनके अभिभावकों को भी कुछ धनराशि दी जानी चाहिए।

5—नारी शिक्षा निकेतन में पढ़ने वाली बालिकाओं के अभिभावकों को कुछ मासिक धनराशि देने की व्यवस्था की जानी चाहिए और इन शिक्षा निकेतनों में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की ट्रेनिंग का समय 2 वर्ष किया जाय और ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें कुछ अनुदान देकर स्वावलम्बी बनाया जाय।

6—ट्रेनिंग के बाद उन्हें कच्चे माल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जांय और उनके द्वारा बनाये गये सामान को खरीदने की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए।

7—बहु पत्नी प्रथा बन्द करने के साथ ही बाल-विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

8—अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाय, लड़कियों को बहकाकर बाहर ले जाकर वेश्यावृत्ति कराने वालों पर कड़ी नजर रखी जाय।

9—जिला स्तर पर निराश्रित महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाय। जिसमें एक वर्ष तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलम्बी बनाया जाय।

10—हर न्याय पंचायत में एक जच्चा-बच्चा केन्द्र अवश्य खोलना चाहिये।

11—सोसियल रिफार्म किया जाय, जिससे वेश्यावृत्ति को बढ़ावा न मिले। इस क्षेत्र में काम करने वाली महिला (कर्मचारियों) को वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता दिया जाय।

12—ऐसे नाटकों का प्रदर्शन कराया जाय जिसमें बहकाकर ले जाने वाली लड़कियों के साथ होने वाले अत्याचारों का प्रदर्शन हो। लोक गीतों द्वारा वेश्यावृत्ति के खिलाफ वातावरण बनाना चाहिए।

अन्य

1—यहां के लोगों में सामाजिक चेतना पैदा की जाय। सभी राजनीतिक दलों के लोग इस कार्य में आगे आयें।

2—इस क्षेत्र में जन-जाति की सुविधाओं के नाम पर जो सड़कें बनाई गई हैं वह सड़कें अधूरी या टूटी-फूटी हैं। इसमें लगाये गये धन का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए इसमें खर्च की गई धन-राशि की उपयुक्तता की जांच की जाय।

3—बंधुवा मजदूरों के बच्चों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जायं।

4—बाजगी जाति गांव के लोगों को सुबह जगाने और शाम को सोने के लिये बाजा बजाना पड़ता है। इनकी औरतों को उत्सवों के मौकों पर नाचने के लिये विवश किया जाता है। कभी इस दरवाजे पर, कभी उस दरवाजे पर सो रहते हैं। सुबह शाम भिखारियों की तरह इनकी झोली में खाना फेंक दिया जाता है। चैती या श्राद्ध आने पर उच्च वर्ग के सम्पन्न लोगों के यहां जाकर वह अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं जिससे उन्हें कुछ अनाज मिल जाता है। जीवित रहने के लिये वह सभी अपमान सहन करते हैं इसलिए उन्हें जीविका निर्वाह के लिये दूसरे साधन उपलब्ध कराये जायं। इनकी औरतों के नचवाने पर रोक लगाई जाय।

5—जिस गांव में बाजगी नहीं होता है उस गांव के लोग दूसरे गांव से बाजगी बालक खरीद कर लाते हैं। इस प्रकार बाजगी की खरीद फरोक्त बन्द की जाय।

6—शिक्षा का यूनीवर्सलाइजेशन किया जाय।

7—उत्तरकाशी में बरसीम घास बोने के डिमान्डेशन फार्म खोले जायं, जिसमें लोगों को सिखाया जाय कि उससे होने वाले कौन-कौन से लाभ हैं।

8—डून्डा के पुनर्वासित भट्टियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के साथ ही आश्रम पद्धति के विद्यालय खोले जायं। उनके लिये ऊन और फारेस्ट उद्योग खोले जायं और उनके उत्पादन की मार्केटिंग व्यवस्था की जाय।

9—कहीं-कहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति की आवंटित भूमि पर वन विभाग ने वृक्षारोपण कर दिया है इसलिए इन आवंटियों को उसके बदले में वन विभाग दूसरी जमीन दे अथवा उनकी भूमि पर जो वन लगाया गया है, उसके उत्पादन में भी कुछ भाग दे।

10—लाखा मन्डल में यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।

11—जौनसार बावर क्षेत्र में वहां की जनता यदि मांग करें तो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाय।

परिशिष्ट "क"

दिनांक 6 सितम्बर, 1981 को जिला बांदा के अधिकारियों हरिजन संस्थाओं तथा राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा दिये गये साक्षियों के नामों की सूचीः–

1—श्री टी0 ब्लाह, जिलाधिकारी,

2—श्री आर0 पी0 सिंह, ए0डी0एम0,

3—श्री एम0 पी0 दीक्षित, एस0पी0,

4—श्री के0 जी0 गुप्त, सहायक प्रबन्धक, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम,

5—श्री राम नरेश लाल श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन समाज कल्याण)।

6—श्री आर0 एस0 वर्मा, जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी,

7—श्री बी0 एस0 गंगवार, जिला पशुधन अधिकारी,

8—श्री जगदीश, जिला हरिजन समाज कल्याण विभाग,

9—श्री एस0 पी0 चौहान, अतिरिक्त जिलाधिकारी विकास,

10—श्री शिव कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी,

11—श्री राम नारायन पान्डे, महामंत्री, कांग्रेस आई,

12—श्री रामेश्वर प्रसाद, क्षेत्रीय विधायक, कांग्रेस आई,

13—श्री राम सजीवन,

14—श्री सिरोमणी भाई, विधायक,

15—श्री राम प्रताप वर्मा, एडवोकेट,

16—श्री बिन्दा,

17—श्री जगन्नाथ प्रसाद, रजक, कार्यकर्ता, कांग्रेस सेवादल

18—श्री शिव नारायण,

19—श्री कल्लू प्रसाद, ग्राम मसूरी नरैना, थाना गिरोह,

20—श्री परदेशी रिपब्लिकन पार्टी,

21—श्री गणेश प्रसाद एडवोकेट,

22—श्री राम प्रसाद चक्रवर्ती, नगर युवा जनता,

23—श्री छोटा, ग्राम मसूरी,

24—श्री बल्देव, भूरागढ़ भूड़ेरी,

25—श्री श्याम, ग्राम खुरहन,

26—श्री मुश्ताक अहमद, ग्राम चिल्ला,

27—श्री अजीम अहमद फारूखी, तिन्दवारी,

28—श्री रामकृपाल निहोर, एडवोकेट, महामंत्री, जिला हरिजन कांग्रेस,

29—श्री जगदेव भाई, संकट मन्दिर, बहोखट,

30—श्री गोस्वामी, नायब तहसीलदार।

दिनांक 7 सितम्बर, 1981 को मानिकपुर, जिला बांदा के अधिकारियों, हरिजन संस्थाओं तथा राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा दिये गये साक्षियों के नामों की सूची:—

1—श्री बी0 के0 सिंह, एस0 डी0 एम0 मानिकपुर,

2—श्री शकील अहमद, नायब तहसीलदार, मानिकपुर,

3—श्री जगमोहन तिवारी, ए0डी0ओ0,पंचायत, मानिकपुर,

4—श्री योगेन्द्र पाल सिंह, वन विभाग,

5—डा0 केशव प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, सर्वदलीय संघर्ष समिति, मानिकपुर।

दिनांक 9 सितम्बर, 1981 को दुद्धी जिला मिर्जापुर, के अधिकारियों/हरिजन संस्थाओं तथा राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा दिये गये साक्षियों के नामों की सूची :—

1—श्री शंकर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक,

2—श्री मु0 इलियास अहमद, परगनाधिकारी,

3—श्री राम नरेश सिंह, एस0 ओ0, थाना दुद्धी,

4—डा0 प्रेमनाथ सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुद्धी,

5—श्री देवेन्द्र त्रिपाठी, प्रभारी अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, दुद्धी,

6—श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,

7—श्री बनवारी राम, डिप्टी कलेक्टर, सहायक अभिलेख अधिकारी, दुद्धी,

8—श्री जयसिंह प्राविधिक सहायक, भू0 नि0 आ0 अनुभाग, दुद्धी,

9—श्री भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता, कार्यकर्ता, कांग्रेस आई,

10—श्री छेदी राम यादव, ब्लाक प्रमुख, मौली,

11—श्री विद्या सागर, पनिका, उप ब्लाक प्रमुख,

12—श्री कृष्ण चन्द्र, एक्स चेयरमैन, आई0टी0 आई0

13—श्री जमुना प्रसाद, महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी,

14—श्री हुलास प्रसाद गुप्ता,

15—श्री बलवन्त सिंह,

16—श्री सत्य नारायण सिंह, एडवोकेट,

17—श्री राम लोचन तिवारी, एडवोकेट,

18—श्री कामरेड, ए0 बी0 त्रिपाठी, सी0 पी0 एम0.

19—श्री इनामुल्ला खां,

20—श्री ख्वाजा अब्दुल रहीम खां।

दिनांक 10 सितम्बर 1981 को ओबरा मिर्जापुर के अधिकारियों, हरिजन संस्थाओं तथा राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा दिये गये साक्षियों के नामों की सूची।

1—श्री बी0 एस0 सिन्हा, ए0 आर0 ओ, ओबरा,

2—श्री बी0 वी0 सिंह, ए0 डी0 एम, राबर्टसगंज,

3—श्री एस0 आर0 गोयल, अधिशासी अभियन्ता, ओबरा,

4—श्री एस0 डी0 दीक्षित, सहायक अभियन्ता, ओबरा,

5—श्री श्रीनाथ श्रीवास्तव, राबर्टसगंज, तहसीलदार,

दिनांक 10 सितम्बर, 1981 को ओबरा, मिर्जापुर के अधिकारियों, हरिजन संस्थाओं तथा राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा दिये गये साक्षियों के नामों की सूची:—

1—श्री प्रशान्त कुमार मिश्र, जिलाधिकारी ;

2—श्री जी0 पी0 विश्वकर्मा, ए0 डी0 एम0 फाइनेन्स एन्ड रेवेन्यू,

3—श्री श्रवण कुमार उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट,

4—श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, एस0 डी0 एम0,

5—श्री महेन्द्र नाथ सिंह, तहसीलदार चुनार,

6—श्री गोपाल कृष्ण मिश्र, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी,

7—श्री उमा शंकर बाजपेयी, एस0 एस0 पी0 ।

दिनांक 2 जुलाई, 1981 को देहरादून, के अधिकारियों, हरिजन संस्थाओं तथा राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा दिये गये साक्षियों के नामों की सूची:—

1—श्री महेन्द्र सिंह, जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी,

2—श्री प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी,

3—श्री एस0 एन0 अजीम, उप निदेशक तथा हरिजन समाज कल्याण विभाग, मेरठ गढ़वाल,

4—श्री जगनयन, प्रबन्धक, रा0 ज0 जा0 छात्रावास गोपेश्वर,

5—ए0 के0 सूद, प्रधान प्रबन्धक, जन जाति विकास निगम लि0,

6—प्रताप सिंह, प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मन्डल विकास निगम,

7—श्री भगत सिंह वर्मा, परियोजना निदेशक, जनजाति प्राधिकरण,

8—श्री रतन सिंह जोनसारी, मन्त्री पर्वतीय आदिम जाति सेवा संघ,

9—श्री विनोद शंकर चौबे,

10—श्री अवधेश कौशल, यूथ कोआडिनेटर, नेहरू युवक केन्द्र ।

दिनांक 3 जुलाई, 1982 को लाखा मन्डल, जिला देहरादून में अधिकारियों एवं बन्धक मजदूरों के उत्थान कार्यों में लगी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के नामों की सूची:—

1—श्री एस0 एम0 अजीम, उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग,

2—श्री विनोद कुमार पाठक, एस0 डी0 एम0, चकराता,

3—श्री महेन्द्र सिंह, जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी,

4—श्री जगनयन, प्रबन्धक रा0 ज0 जा0 छात्रावास गोपेश्वर,

5—श्री ए0 डी0 ओ0, चकराता,

6—ए0 डी0 ओ0, लाखामन्डल,

7—श्री श्याम दत्त जोशी, एडवोकेट सामाजिक कार्यकर्ता,

8—श्री लाखी राम सिंह, प्रधान, बीरपुर ग्राम सभा,

9—श्री प्रेम सिंह राणा, एडवोकेट प्रधान, समर मिट्टी,

10—श्री जगेन्द्र सिंह विष्ट, एडवोकेट, प्रधान, ग्राम सभा बरमाली,

11—श्री सुन्दर सिंह रावत, प्रधान, ग्राम सभा, सिंगोर,

12—श्री सुखबीर सिंह भन्डारी, प्रधान, ग्राम सभा, कल्याणी,

13—श्री बचन सिंह भंडारी, प्रधान, ग्राम सभा, मालता,

14—श्री इन्द्र सिंह राणा, प्रधान, ग्राम सभा, हरैती,

15—श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, प्रधान, ग्राम सभा, डौच भन्डारस्यूं,

16—श्री विक्रम सिंह पवार, प्रधान, ग्राम सभा, जुगुन्डी,

17—श्री पुरुषोत्तम दत्त भट्ट, प्रधान, ग्राम सभा, नवां गांव, भन्डरस्यू,

18—श्री ग्वासूलाल, प्रधान, ग्राम सभा, पुरसौला,

19—श्री पीताम्बर दत्त, प्रधान, ग्राम सभा, पुजारगांव,

20—श्री चन्द्र, प्रधान, ग्राम सभा उज्यरीकोट,

21—श्री पटीवर शास्त्री,

22—श्री गुलाब सिंह, प्रधान, ग्राम सभा, पठारा,

23—श्री बेंचू लाल, प्रधान, ग्राम सभा, मैनोल,

24—श्री गीताराम, प्रधान, ग्राम सभा, उजियारगांव, खन्यारी,

25—श्री मूल चन्द्र राणा, ग्राम प्रधान, चकौन घमारी,

26—श्री राम कैलाश भट्ट, प्रधान, ग्राम सभा, गावाण,

27—श्री मदन मोहन,

28—श्री देवेन्द्र प्रसाद, प्रधान, ग्राम सभा, मरवाडी,

29—श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, प्रधान, ग्राम सभा, कंवा,

30—श्री सत्यानन्द, प्रधान, सौद,

31—श्री इलाम सिंह, प्रधान, पैठाण,

32—श्री प्रताप सिंह, प्रधान, भडटिनसारी मैजगांव,

33—श्री नैन सिंह राणा, ग्राम सभा, धोल्डू घरारी,

34—श्री बालक राम, प्रधान, ग्राम सभा, जैमर,

35—श्री अतर सिंह चौहान, प्रधान, ग्राम सभा, लावड़ी,

36—श्री टीकाराम, प्रधान, ग्राम सभा, नाड़ा,

37—श्री मंगत राम कोल्टा, सामाजिक कार्यकर्ता, लाखामन्डल,

38—श्री बैक्टर, इंगलैन्ड के लेखक,

39—कुमारी बीनू सन्दल, इन्टरप्रेटर,

40—श्री तारा सिंह,

41—श्री पिनाटिया लखन,

दिनांक 3 जुलाई 1982 को नौगांव उत्तरकाशी, देहरादून में अधिकारियों एवं बन्धुवा मजदूरों के उत्थान कार्यों में लगी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के नामों की सूची।

1—श्री एस0 एम0 अजीम, उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग,

2—श्री उदय सिंह, सरोज, जिला समाज एवं हरिजन कल्याण अधिकारी,

3—कुमारी पविता कोठियाल, अधीक्षिका, नारी निकेतन, नौगांव,
4—श्री सुन्दर लाल, ए0डी0एम0 (विकास)
5—श्री साकल चन्द्र रावत,
6—श्री लक्ष्मण सिंह पवार,
7—श्री दिलीप सिंह,
8—श्री अमर सिंह बपोला,
9—श्री नवीन चन्द्र जोशी, एस0डी0एम0, नौगांव,
10—श्री पति दास,
11—श्री दीवान सिंह तोमर,
12—श्री बृजेन्द्र सिंह चौहान,
13—श्री चैन सिंह रावत,
14—श्री किशन देव रावत,
15—श्री विशाल मणि रतूरी,
16—श्री आर0एस0 गुप्ता, ए0डी0एम0, बड़कोट;
17—श्री राम खेलावन,
18—श्री एन0वी0 चौहान, खन्ड विकास अधिकारी,
19—श्री डी0 आर0 जोशी,
20—श्री गीता राम शर्मा,
21—श्री जय सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी,
22—श्री सुखबीर सिंह,
23—श्री आर0 डी0 तिवारी,
24—श्री अरुण कुमार सक्सेना, जनजाति कल्याण निरीक्षक,

दिनांक 4 जुलाई, 1982 को डून्डा, जिला उत्तरकाशी के अधिकारियों एवं बंधक मजदूरों के उत्थान कार्यों में लगी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के नामों की सूची :—

1—श्री के0सी0 मेहरोत्रा, जिलाधिकारी,
2—श्री नारायण प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, प्रभारी,
3—श्री एस0एम0 अजीम, उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग,
4—श्री अजय सिंह नकियाल, परगना मजिस्ट्रेट, डून्डा,
5—श्री कामरूप ढौढ़ियाल, तहसीलदार, डून्डा,
6—श्री राजेन्द्र सिंह विष्ट, नायब तहसीलदार, डून्डा,
7—श्री रामानन्द बहुगुणा, जिला विकास अधिकारी,
8—श्री नर सिंह रावत, पंचायती राज अधिकारी,
9—श्री उदय सिंह सरोज, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी.
10—श्री सुंदर लाल, अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास).

11—श्री नन्द बहुगुणा, अपर जिला विकास अधिकारी,

12—श्री वासुदेव,

13—श्री चन्द्र पाल सिंह,

14—श्री लाखी राम सिंह,

15—श्री सीता राम, कुजर गांव,

16—श्री भरत सिंह,

17—श्री कैलाश भट्ट,

दिनांक 4 जुलाई, 1982 को उत्तरकाशी के अधिकारियों एवं बन्धक मजदूरों के उत्थान कार्यों में लगी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्षियों के नामों की सूची :—

1—श्री के0 सी0 मेहरोत्रा, जिलाधिकारी,

2—श्री सुन्दरलाल, अतिरिक्त जिलाधिकारी, (विकास)

3—श्री एस0 एम0 अजीम, उप निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग, मेरठ तथा गढ़वाल,

4—श्री नरसिंह पाल सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी,

5—श्री जय सिंह सरोज, जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी,

6—श्री नंद बहुगुणा, अपर जिला विकास अधिकारी, हरिजन कल्याण,

7—श्री जी0 पी0 पान्डेय, संख्याअधिकारी,

8—डा0 एम0एल0 शिल्पकार, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

9—श्री एस0 रावत, प्रा0 अधिकारी, जिला कल्याण केन्द्र,

10—श्री के0 बी0 कर्दम, जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां,

11—श्री शूरबीर सिंह नेगी, स0 विकास अधिकारी, परि0 नौगांव,

12—श्री बी0 के0 पान्डे, रा0 ज0 संस्थान,

13—श्री डी0 पी0 जुगरान, स0 अधि0, सिंचाई विभाग,

14—श्री सैय्यद ताज इम्ताज, स0 अ0 सि0 खन्ड, प्रथम,

15—श्री एस0 पी0 गुप्ता, ज0 उ0 वि0 अ0, जिला उद्यान अधिकारी,

16—श्री शंकर धर जोशी, प0अ0,

17—श्री ब्रज मोहन भट्ट, वि0 अ0ज0नि0, प्रतिनिधि शिक्षा विभाग,

18—श्री हर्षदीन आर्य, सह ग्राम्य अधिकारी, खादी बोर्ड,

19—श्री जगनयम, प्रबन्धक, रा0ज0जा0, छात्रावास, गोपेश्वर, चमोली,

20—श्री अरुण कुमार, जनजाति कल्याण निरीक्षक,

21—श्री भूपाल सिंह, हरिजन कल्याण पर्यवेक्षक,

22—श्री भूपाल सिंह, बनकोटी, जि0 वि0 नि0;

23—श्री अजय सिंह नकियाल, परगना मजिस्ट्रेट,

24—श्री ज्ञानानन्द भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता,

25—श्री रोशन लाल, कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी,

26 श्रीमती प्रभावती गौड़, संयोजिका, जिला महिला कांग्रेस कमेटी

27 श्रीमती शान्ती बहुगुणा, समाज कल्याण प्रतिनिधि,

28 श्री कुन्दन सिंह, कांग्रेसी कार्यकर्ता,

29 श्री परबीन सिंह, हरिजन कार्यकर्ता, दलित युवक समिति,

दिनांक 26 जुलाई, 1982 को समिति ने निम्नलिखित अधिकारियों का साक्ष्य लिया:--

1 श्री आर० चन्द्र, निरीक्षक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग,

2 श्री दौलत राम, संयुक्त सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग।

परिशिष्ट—ख

मान्य अनुसूचित जन जाति

1—थारू,

2—बोक्सा,

3—भोटिया,

4—राजी,

5—जौनसारी,

परिशिष्ट—~~क~~—ग

अनुसूचित जन जातियां जो केन्द्र से मान्य नहीं हैं।

1—अगोरिया,

2—बैगा,

3—भुरिया, सुरिया, नायक, औला

4—चेरु, पथरी, पंतरी राजगोड,

5—गौरू,

6—कोरवा,

7—खरवार,

8—कोल,

9—औराव धगौर,

10—मलवार,

11—परहिया,

12—सहरिया,

13—पनिका,

परिशिष्ट–च

समिति ने निम्नलिखित तिथियों को उनके सामने अंकित स्थानों पर अपनी बैठकें कीं :

दिनांक				स्थान
4 सितम्बर, 1981	..	..	..	लखनऊ
6 सितम्बर, 1981	..	..	..	बांदा
6 सितम्बर, 1981	..	..	..	परशुराम तालाब बांदा
7 सितम्बर, 1981	..	..	..	मानिकपुर बांदा
9 सितम्बर, 1981	..	..	..	दुद्धी मिर्जापुर
10 सितम्बर, 1981	..	..	..	ओबरा मिर्जापुर
10 सितम्बर, 1981	..	..	..	मिर्जापुर
11 सितम्बर, 1981	..	..	..	लखनऊ
26 जून, 1981	..	..	..	लखनऊ
1 जुलाई, 1982	..	..	..	लखनऊ
2 जुलाई, 1982	..	..	..	देहरादून
3 जुलाई, 1982	..	..	..	लाखामन्डल (देहरादून)
3 जुलाई, 1982	..	..	..	नौगांव (उत्तरकाशी)
4 जुलाई, 1982	..	..	..	डून्डा उत्तरकाशी
4 जुलाई, 1982	..	..	..	उत्तर काशी
5 जुलाई, 1982	..	..	..	देहरादून
6 जुलाई, 1982	..	..	..	लखनऊ
23 जुलाई, 1982	..	..	..	लखनऊ
26 जुलाई, 1982	..	..	..	लखनऊ
27 जुलाई, 1982	..	..	..	लखनऊ
10 अगस्त, 1982	..	..	..	लखनऊ
11 अगस्त, 1982	..	..	..	लखनऊ
25 अगस्त, 1982	..	..	..	लखनऊ

परिशिष्ट—ङ

अनुसूचित जन जाति विकास क्षेत्र मुख्यालय देहरादून

नौगांव ..	.. विकास खण्ड		
पुरोला ..	.. विकास खण्ड	..	उत्तरकाशी
मौरो ..	.. विकास खण्ड		
जौनपुर ..	.. विकास खण्ड	...	टेहरी गढ़वाल
कालसी ..	.. विकास खण्ड		
चकराता ..	.. विकास खण्ड	..	[देहरादून]

परिशिष्ट—घ

बन्धक मजदूर अभिज्ञानित क्षेत्र

1—नौगांव	.. विकास क्षेत्र	}	.. उत्तरकाशी
2—पुरौला	.. विकास क्षेत्र		
3—डून्डा ..	.. विकास क्षेत्र		
4—मोरी ..	.. विकास क्षेत्र		
5— चकराता 6— कालसी	.. विकास क्षेत्र		.. देहरादून
7— जौनपुर	.. विकास क्षेत्र		.. टेहरी गढ़वाल

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 17 वि0 परिषद्—10—9—82 (1818)—1982—250(प्रो0)।